1084/5

सत्यमेव जयते

खंड ९ संख्या २१

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

मंगलवार, तिथि ६ मार्च, १९५६।

Vol. IX No. 21

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 6th March, 1956.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६।

[मूल्य—६ आना।]

[*Price—6 Annas.*]

इस बात को मैं पूरे जोर से माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि सहकारिता के उसूलों में केवल सेवा की भावना है और कोई भेद-भाव की भावना नहीं है। इसका झंडा सात रंग का है और यही सात रंग सूरज में भी पाये जाते हैं। सूरज सभी के लिए बराबर है और सबकी सेवा बिना जांत-पांत, भेदभाव के किया करता है। इसी तरह से सहकारिता का काम भी सभी की सेवा करना है, इसमें कोई भेद नहीं है, न मनुष्य-मनुष्य का, न मुल्क-मुल्क का, और न हल्के-हल्के का। इसलिए एक विनय माननीय सदस्यों से मेरी यह होगी, और सभी लोगों से होगी कि इस सहकारिता संस्था को एक ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाय जो क्षेत्र सब किसी का हो या न्युट्रल जोन में इसको रख देना चाहिए। हमारे राज्य में तरह-तरह की राजनैतिक दलबन्दियां हैं और उनमें सिद्धान्त के आधार पर और दूसरी बातों के आधार पर मतभेद भी रहता है और रहने की गुंजाइश है। मेरी प्रार्थना यह होगी कि सहकारिता को इस मतभेद के क्षेत्र से हटाकर एक ऐसे क्षेत्र में डाल देना चाहिए जहां यह समझा जाय कि सहकारिता सभी की सेवा करने की चीज है यानी किसी तरह के राजनैतिक या और किसी तरह के मतभेद को गुंजाइश इसमें नहीं है। जो कोई सहकारिता क्षेत्र में जांय, वे इसी भावना के साथ जांय कि उनका काम जनता की सेवा करना है। दूसरी भावना लेकर इसमें जाना सहकारिता के उद्देश्यों के खिलाफ होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने थोड़ा समय लिया संक्षेप में सहकारिता का रूप बतलाने में और भविष्य में जो होने वाला है उसको बतलाने में, साथ-ही-साथ में इस बात को जानता हूं कि सहकारी संस्थाओं में त्रुटियां भी कुछ हैं लेकिन त्रुटियां किसी के चाहने से नहीं हैं, कम-से-कम मैं वह नहीं चाहता और मेरी बराबर यही कोशिश रहती है कि त्रुटियों को हटाऊं। मेरा विश्वास है कि मुझे इन त्रुटियों को हटाने में माननीय सदस्यों की सहायता मिली तो मैं सफलतापूर्वक इन त्रुटियों को हटा सकूंगा और भविष्य में उन्हें दोहराने नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्यों की सहायता अगर मुझे मिली तो न मैं केवल त्रुटियों को उठाने में सफलता पाऊंगा बल्कि जिन बातों की चर्चा मैंने की इन सारी बातों में मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और इस सहकारिता के जरिए सचमुच हम किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा करने में सफल होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में सहकारिता के सम्बन्ध में बातें बतलाने की कोशिश की और इन्हीं शब्दों के साथ इस मांग को माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे अपना सुझाव देंगे कि किस तरह में सहकारिता के कामों को आगे बढ़ाऊं। जहां कहीं इसके कामों की टिप्पणी करने की आवश्यकता महसूस हो तो मैं उस टिप्पणी को भी बड़े आदर से सुनने के लिए तैयार रहूंगा।

कटौती प्रस्ताव:

सहकारिता विभाग की व्यवस्था पर विचार-विमर्श।

Cut Motion

DISCUSSION ON THE MANAGEMENT OF THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT.

*श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"निर्देशन-रजिस्ट्रार" के लिए १६,६८० रुपए की मद लोपित की जाय।

(सहकारिता विभाग की व्यवस्था पर विचार-विमर्श करने के लिए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वात से अक्षरशः सहमत हूं कि अगर अपने देश का आर्थिक उद्धार करना है, अगर अपने देश में समुचित पर्याप्त मात्रा में आर्थिक प्रगति करनी है तो कोओपरेशन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता इसका नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि आजतक कोओपरेशन में जितनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए थी उतनी सफलता हम प्राप्त नहीं कर सके। माननीय मंत्री श्री दीप नारायण सिंह ने जो रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट का हवाला दिया है उसी रिपोर्ट में उनको पता होगा और सदन के माननीय सदस्यों को भी पता होगा कि यह लिखा हुआ है कि कोओपरेशन अवतक असफल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस आधार पर अपना साधन वनाकर आज हम अपने देश में आर्थिक प्रगति लाना चाहते हैं, अगर हमें अवतक इसमें असफलता मिली है तो इस विषय पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि हम किस रास्ते से चलें, किस ढंग से चलें कि हमें सहकारिता के क्षेत्र में असफलता के वदले सफलता प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मंत्रीजी ने वतलाया कि जहां सारे देश में ७८० करोड़ रुपया कर्ज की आवश्यकता किसानों के लिए रूरल क्रेडिट सर्वे ने वतलायी वहां सारे विहार के लिए सालाना ८० करोड़ रुपए की आवश्यकता हम मानते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी मानते हैं। लेकिन आपने सुना कि केवल पंचवर्षीय योजना के मुताविक २० करोड़ की व्यवस्था करना चाहते हैं।

२० करोड़ रुपये की व्यवस्था करना चाहते हैं। जहां हम १५ करोड़ रुपया नगद और ५ करोड़ रुपया खादी के रूप में वढ़ा देते हैं, तो कुल हम २० करोड़ रुपये की व्यवस्था कर पाते हैं। आपने देखा कि समूचे देश के लिए ३.१ करोड़ रुपया सहकारिता के द्वारा कर्ज दिया जाता है। पिछले कई वर्षों से विहार में एक प्वायन्ट (.१) कर्ज इस मद में दिया जाता है। हमारे सारे देश का जो आंकड़ा है उसमें हम कितने पीछे हैं, यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है। हम जो २० करोड़ का कर्ज देते हैं अगर उसका पूरा हिसाव वैठाते हैं तो २५ प्रतिशत हिसाव वैठता है। अगर २० करोड़ के औसत में हम एक वर्ष का हिसाव निकालें तो ४ करोड़ रुपया किसानों को दे पाते हैं। अव हम देखते हैं कि वहुत कम हिसाव वैठता है और अगर इस तरह से हमारी प्रगति होगी तो हम अगली पंचवर्षीय योजना में भी वहुत पीछे रह जायंगे।

अध्यक्ष महोदय, महाजनों के द्वारा जो किसानों को कर्ज मिलता था, वह भी वन्द होने जा रहा है। देहातों में कर्ज नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो महाजन अगर उन्हें १०० रु० देते हैं तो वे उनसे २०० रुपया का हैन्डनोट लिखा लेते हैं। सूद के दर के विषय में तो कुछ पूछना ही नहीं है। कागज पर लिखते कुछ हैं और सूद वेचारे किसानों से लेते कुछ और ही हैं। महाजन अपने खदुक के साथ कसाई की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमने रूरल क्रेडिट को व्यापक नहीं वनाया तो किसानों की भलाई नहीं होगी। हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो किसानों को तकावी कर्ज दिया जाता है वह भी ३.१ फी सदी आता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने वजट पर बोलते समय रूरल सर्वे की पंक्तियों को कोट किया था और आपको वताया था कि वह इतिहास इनएडिक्वेसी का इतिहास है। वह प्राप्य मात्रा में नहीं मिलता है। वक्त भी वेकार चला जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार से जो कर्ज मिलता है वह वहुत कम है और महाजनों के द्वारा जो कर्ज दिया जाता था वह भी अव वन्द हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से रूरल क्रेडिट का इंतजाम ज्यादा करने के सिवाय कुछ नहीं है। रूरल क्रेडिट देने का जो हमारा लक्ष्य है उससे हम अभी पीछे पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब कोआँपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करनेवाले जो कर्मचारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे भी इस पर काफी ध्यान देकर सोचें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे क्षेत्र जो आज गांव में काम करने का है वह भी बहुत महत्त्व रखता है। हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि देहाती क्षेत्रों में हम नेशनल एक्सटेंशन सर्विस खोल रहे हैं और ६८४ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस सारे प्रांत में खुलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे इलाके में कम्युनिटी प्रोजेक्ट तीन सालों से अपना काम कर रहा है और आने वाले ३१ मार्च को उसका समय समाप्त हो जायगा। कर्ज देने के लिये कोआँपरेटिव सोसाइटीज बनीं, जिनका काम मैं संतोषजनक नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आज जो आप गांव में ग्राम उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जिस ढंग से आप काम करते आ रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह सफल नहीं होगा। ग्राम पंचायत को जहां हम शासन के लिये एक जरिया मानते हैं, जहां ग्राम पंचायत को डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का साधन मानते हैं वहां हम मानते हैं कि गांव के लिये आर्थिक विकास का साधन, आर्थिक निर्माण का साधन यह हो सकता है। अभी हाल में दो-तीन महीने पहले इन्टर-स्टेट सेमिनार यहां हुआ था, उसमें नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के आदमी, कम्युनिटी प्रोजेक्ट के आदमी थे, सारे डेवेलपमेंट ब्लॉक अफसर थे और सेक्रेटेरियट के अफसर थे, ऑफीशियल्स और नन-ऑफिशियल्स आये हुए थे, मैंने विचार-विमर्श किया और उसमें यह तय किया गया कि जहां हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, हम सहकारिता को इसका साधन बनाना चाहते हैं। मैं सहकारिता मंत्री से पूछूंगा कि क्या आप उस दिशा में प्रगति करने जा रहे हैं, क्या गांव के कोआँपरेटिव सोसाइटीज, जिसे आप आज इन्डस्ट्रियल यूनिट बनाने वाले हैं, जिसके द्वारा हमारे कौटेज इन्डस्ट्रीज का विकास होने वाला है क्या उसमें आप हाथ बढ़ाने जा रहे हैं? आप कहेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी गुन्जाइश की गयी है। हैंडलूम के लिये जिस तरह कोआँपरेटिव है उसी तरह से कौटेज इन्डस्ट्रीज के लिये भी कोआँपरेटिव बनायंगे, क्या इस पर आपने गंभीरतापूर्वक विचार किया है? इस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाना है और विकास के साधनों को गांवों में, देहाती हलकों में, ले जाना है। इसके लिये कोआँपरेटिव बनाना है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का काम करने को सरकार ने निश्चय किया है तो जो सोसाइटीज अभी चल रही हैं, उनकी जो वर्किंग अभी हो रही है उसे देख कर कभी-कभी निराश होना पड़ता है। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं, हम तो बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, अच्छी तरह संतोषजनक प्रगति लाना चाहते हैं लेकिन उनको पता होगा, अच्छी तरह पता होगा कि कितनी बार जब आडिट हो रहे हैं, कितनी कोआँपरेटिव सोसाइटीज में ऑडिट हुई है और जो रिपोर्ट आई है वह बहुत ही खतरनाक है और हमको याद है कि जब शुगर फ़ैक्ट्रीज के सम्बन्ध में बिल सेलेक्ट कमिटी में था, जब शूगरकेन कोआँपरेटिव सोसाइटीज को यह अधिकार देने की बात हुई कि सभी शूगरकेन मिल वालों के यहां पहुंचाने का काम सोसाइटी को दिया जाये, जब उस मसविदा पर विचार हो रहा था और सोलहो आने अधिकार कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिये जायंगे और तेजी के साथ विकास करना चाहते थे तो माननीय मंत्री को मालूम होगा कि किस तरह का विरोध किया गया था। उस वक्त सरकार का ध्यान खींचा गया था कि आडिट रिपोर्ट जो है वह कितनी खतरनाक चीज है और कोआँपरेटिव सोसाइटीज की जो वर्किंग है वह कितनी दोषपूर्ण है। कितने प्रयास किये गये, त्रुटियां को दूर करने के लिये लेकिन आपको सफलता नहीं मिल सकी। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुतसी बुराइयां हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है।

एक ऐसा आदमी जो न केवल आज सोलहों आने कोआपरेटिव इन्स्टीच्युशन में विश्वास करता है, जिसका दिल छटपटा रहा है कि किस तरह अपने देश में, अपने समाज में जो आर्थिक विषमता है, उसको दूर किया जाये, उसका दिल इस बात के लिये छटपटा रहा है कि किसान फसल पैदा करते हैं, उनको गल्ले का दाम मुनासिब नहीं मिलता है, वह शोषित हो रहा है, पेशेवर लोग बाहर से आकर उनकी फसल कम मूल्य पर खरीदते हैं, फसल उस वक्त खरीदी जाती है कि जिस समय किसान नई-नई फसल पैदा करते हैं और किसान बहुत बुरी हालत में रहते हैं, एक ऐसा आदमी जिसका दिल छटपटा रहा है कि किसानों को मुनासिब दाम मिले वह भी चाहता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये इसका निराकरण हो। आप भविष्य में इसके लिये क्या करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि हम योजना बनाने जा रहे हैं, योजना का क्या प्रारूप है, कब आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसकी आपने कोई निश्चित अवधि नहीं बतायी। १९५६-५७ में आप इसे करने जा रहे हैं या नहीं, मार्केटिंग यूनियन की व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं, किसानों के फसलों को बेचने के लिये, उचित मूल्य पर बेचने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, पता नहीं है। १९६०-६१ में जब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तब आप इसे करेंगे क्या? आपने कोई निश्चित प्रोग्राम मार्केटिंग के लिये नहीं बनाया है। औफीशियल आर्डर क्या इस तरह का निकल रहा है आपकी ओर से कि प्रथम वर्ष १० फी सदी काम होगा? अगले वर्ष में २० प्रतिशत और फिर ५० प्रतिशत काम होगा? इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आपकी ओर से नहीं निकला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई प्रोग्राम इस तरह का बनाया है? अगर आप इस तरह का काम नहीं करते हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो काम है और जिस तरह का खतरनाक रिपोर्ट आडिट का है, सफलता नहीं मिल सकती है। हमारे माननीय मंत्री महोदय मानते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी में भेद नहीं हो सकता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज एक ही गांव में कुछ किसान हैं जिनमें भेद करना होगा, कुछ किसान उनमें ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ मझोले हैं और कुछ बहुत छोटे हैं, बड़े किसानों के साथ मझोले किसानों का और छोटे किसानों का भेद करना पड़ेगा। छोटे किसानों की तायदाद बहुत अधिक है। बड़े किसान हैं, मझोले किसान हैं और छोटे किसान हैं, क्या आप तीनों में भेद नहीं करना चाहते हैं? हजारों रुपये जो, आज कोआपरेटिव सोसायटीज को मिलते हैं, उनका लाभ बड़े किसानों को मिलता रहा है और मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इसको इंकार नहीं करेंगे। अधिक-से-अधिक लाभ बड़े किसानों को मिलता है, थोड़ा-बहुत लाभ मझोले किसान उठाते हैं लेकिन जो पेजेन्ट्री हैं, जो छोटे किसान हैं और जिनकी तायदाद सारे देश में सबसे अधिक है और हमारे इस राज्य में तो सबसे अधिक है, इनके पास एक कट्ठा, एक बीघा, दो बीघा जमीन है। क्या आप इनमें भेद नहीं करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, भेद भाव सिद्धान्ततः मैं नहीं मानता हूं लेकिन वहां पर मैं इसे मानता हूं और वहां पर भेद करूंगा कि जो पिछड़े हुए हैं, जो ज्यादा दबे हुए हैं, जो आज इस हालत में हैं कि अगर उनको उठाया नहीं जायगा तो वे अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकते हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको सहायता देनी होगी। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर इस मकसद को कोआपरेटिव सोसाइटीज पूरा नहीं करेगी। अगर आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनकी उन्नति करना चाहते हैं तो जो किसान गिरे हुए हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनको सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है, आप उनकी तरफ निगाह

डालते, आप उनकी अधिक से अधिक सहायता करते तो हम समझते कि आपका कोआपरेशन सफल हो रहा है। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोआपरेशन के जरिये लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आज देहातों में आर्थिक विषमता और शोषण है। वह शोषण चाहे जिस प्रकार का हो। मैं इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंट को, सरकार को मदद पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में जो त्रुटियां हैं, जिनके चलते इस डिपार्टमेंट पर फब्तियां कसी जाती हैं और जिनके चलते दुश्मन इस काम में रुकावट डालते हैं, उनको दूर करने के लिए हमारा और आपका कोआपरेशन अधिक-से-अधिक मजबूत होना चाहिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है, उसे हम पूरा कर सकें।

*श्री नन्द किशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि बम्बई

के बाद बिहार ही एक ऐसा सूबा है जहां कोआपरेटिव विभाग एक अलग विभाग है और उसके लिए एक अलग मिनिस्टर हैं। हम अपने मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं कि वे कोआपरेटिव संस्था को प्रोत्साहन देने के लिए काफी भाग लेते रहते हैं। आज हमारे सामने इस विभाग की कड़ी आलोचना इसलिए होती है कि जिन लोगों को कन्फीडेन्स में लेकर इस संस्था को पनपने देना चाहिए, वैसा इस सूबे में नहीं हो रहा है। यह बात सही है कि हमारे सूबे में कोआपरेटिव संस्था प्रगति पर है क्योंकि हमारे मंत्री महोदय का जीवन ज्यादा से ज्यादा इस संस्था की प्रगति के लिये व्यतीत हुआ है। कोआपरेटिव संस्था में जो त्रुटि होती है उसके आधार पर कड़ी आलोचना होती है और उस समय सोचना पड़ता है कि इसमें इनहेरेन्ट डिफेक्ट क्या है? आज सरकार ने स्टेट कोआपरेटिव बैंक को गारंटी किया है कि उसकी जो दिक्कतें होंगी उसको वह दूर करेगी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोआपरेटिव संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है और उसकी सहायता देने के लिए ४० लाख रुपए का शेयर भी खरीदा गया है।

आज हम जानते हैं कि हमारे देश में कोआपरेटिव संस्था बहुत कम जगहों में काम कर रही है। आपको मालूम होगा कि जर्मनी और मिश्र में जो क्रेडिट एग्रीकोल संस्था काम करती थी और जिससे वहां के किसानों ने बहुत तरक्की की है, उसी हिसाब पर यहां भी चालू किया गया है। लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा है, उससे मैं सहमत हूं कि इससे गरीब किसानों को उतनी दूर तक मदद नहीं पहुंची है जितनी मदद मिलनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो चीजें बाजार में सस्ती कीमत पर मिलती हैं वही चीजें कोआपरेटिव के जरिये डेढ़ा-दूना दाम पर मिलती हैं। जैसे कास्टर केक बाजार में ५ रु० १३ आ० मन मिलता है वही कोआप-रेटिव के जरिए साढ़े सात रुपये मन मिलता है। उसी तरह जो कोयला कोआपरेटिव के जरिये गोपालगंज में ४७ रुपए टन मिलता है, वह किसानों के पास ३२, ३३ मील पहुंचते-पहुंचते डेढ़-दो रुपए मन और पड़ जाता है। इससे कज्यूमर्स को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। यह तो वही चीज हुई जिस चीज को पूंजीवाद करते हैं।

(अन्तराल।)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हम यह देखें कि हम किसानों को सस्ते दामों पर चीज मुहैय्या करा सकें। हम देखते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो

रही है। एक तरफ तो क्रेडिट एग्रीकोल के जरिए १० रुपये मन हम कास्टर केक बेचते हैं और दूसरी तरफ बाजार में इसका दाम ५ रु० १० आने से लेकर ५ रु० १३ आने तक है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह काम करने से इस मूवमेन्ट को हम बहुत बड़ा धक्का पहुंचा रहे हैं। इसी तरह कोयले के वैगन को अनलोड करने के लिये ५२,५३ रुपया दिया जाता है। सेन्ट्रल बैंकों को कोल सप्लाई करने के लिये आपने ठीका दे दिया है। सबडिविजनल हेडक्वार्टर्स में बैंक ने कोल डिपो खोल रखा है। दूर-दूर से देहात के लोग जो कोयला लेने आते हैं उनको करीब २७ रुपये टन खर्चा देना पड़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि कोयले का दाम बहुत अधिक उनको देना पड़ता है। यह दुख की बात है कि सहयोग मंत्री ऐसे कर्मठ पुरुष के होते हुए, जिनकी देख-रेख में कोआपरेटिव के सभी काम बहुत अर्से से इस प्रान्त में होते रहे हैं और बावजूद हमारे और दूसरे कर्मचारियों के सिंसियरिटी के यदि इसके वर्किंग में गलतियां की जाती हैं, तो इस मूवमेन्ट को हम धक्का पहुंचाते हैं।

इस सदन में जब-जब कोआपरेटिव का जिक्र हुआ है तब-तब कुछ न कुछ इसके वर्किंग के संबंध में आलोचनाएं की गईं। हम देखते हैं कि केन मार्केटिंग यूनियन की भी कड़ी आलोचना होती है और यह बात कही गयी है कि इस संस्था को उतना ऐट्रैक्टिव नहीं बनाया गया है जितना इसको होना चाहिये। जब आज की दुनिया में कोआपरेटिव एक ऐक्सेपटेड मैक्सिम हो गया है तो अगर इसमें जहां-तहां कुछ कमी आ जाय और इस बीमा पर यदि इस आन्दोलन से आम जनता का विश्वास हट जाय तो यह बड़े दुख की बात होगी। इसके कामों में गड़बड़ी होने की एक वजह यह भी है कि जो लोग केन डिपार्टमेन्ट में १९३८-३९ में आये थे, और जो ग्रेजुएट्स हैं वे अभी तक एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, जहांकि सहकारिता विभाग में जो मैट्रिकुलेट्स हैं, सुपरवाइजर होकर आये थे आज इन्स्पेक्टर वगैरह हैं। इसका असर उनलोगों पर बड़ा खराब पड़ता है, इसलिए उनके लिये भी प्रोमोशन का जरिया बनाना चाहिये।

केन यूनियन, स्टेट कोआपरेटिव बैंक से सवा चार रुपये प्रति सैकड़े की दर से रुपया लेकर सवा छः परसेन्ट की दर से किसानों को देती थी और इस तरह दो परसेन्ट यूनियन को मिल जाता था जिससे उसका एस्टैब्लिशमेन्ट वगैरह का खर्च चल जाता था। सेन्ट्रल बैंकों को चलाने के लिये आपने ऐसा इंतजाम किया जिससे यूनियन को, जो प्राइमरी संस्था है, आपने कमजोर बना दिया। दादनी का जो रुपया यूनियन देती थी और उससे जो कुछ पैसे उसे मिल जाते थे उससे भी यूनियन आज वंचित कर दी गयी है। कास्टर केक जो यूनियन के जरिए लोगों को मिलता था उसे भी छीन कर आपने क्रेडिट एग्रीकोल को दे दिया है। तीन वर्षों से यूनियन के काम में जो रद्दोबदल किया गया है, वह आम लोगों के बीच शिकायत की जड़ बन गया है। केन सेस का जो पौने तीन करोड़ रुपया सरकार ने वसूल किया उसके द्वारा आप केन यूनियन को एक ऐसी संस्था बना सकते थे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की हालत में काफी सुधार हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। केन यूनियन के जो कर्मचारी होते हैं वे आनरेरी होते हैं और अपने घर के कामों में लगे रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे किसान दूर-दूर से आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। पिछले १५-१६ वर्षों में कोआपरेटिव बैंकों को लोग समझते थे कि यह कर्ज लेने और देने की एक संस्था है और कोई जनहित का काम इसके द्वारा नहीं किया जाता है।

केन यूनियन ने इस भ्रम को जनता के दिमाग से दूर किया लेकिन अब आप एक स्ट्रोक आफ पेन से केन यूनियन को खतम करने जा रहे हैं। एक खास तरह का केन कोआपरेटिव था जो मारकेटिंग का काम करता था। उसके काम को आप लेकर विकास मंडल के जरिए कराना चाहते हैं। नतीजा यह होगा कि सुपरवाइजर और आरगैनाइजर या ननआफिशियल वर्कर्स जो आज वीसों वर्ष से इस काम को कर रहे थे और अनुभव प्राप्त कर चुके थे उनसे यह काम लेकर वी० डी० ओ० को दिया जायगा जिसको केन के कल्टीव्हेशन या मारकेटिंग का ए०, वी०, सी० भी नहीं मालूम है, जिससे किसान का काम ठीक से नहीं होगा। मालूम नहीं इस तरह का डिपार्टमेन्टल एक्सपेरिमेन्ट जेलसी के वीमा पर क्यों किया जा रहा है? मैं उन लोगों में हूं जो अपनी गलती को मान लेने में हिचकिचाहट नहीं करते और मेरा संबंध किसी केन कोआपरेटिव यूनियन से नहीं रहा है सिवाय इसके कि मैं इस संस्था के संचालन में प्रेसिडेन्ट के पद पर या इसी तरह के पद पर कहीं-कहीं रहा हूं और यह मैं मानता हूं कि कहीं-कहीं इम्बेजेलमेन्ट हुआ है लेकिन परसेन्टेज देखा जाय तो और जगहों के बनिस्वत इन संस्थाओं में इम्बेजलमेन्ट बहुत कम हुआ है और जो हुआ भी है उसको रुपया वसूल करके ऐडजस्ट कर दिया गया है। सरकारी खजाने में जहां भी रुपया इम्बेजल किया गया है या दूसरी जगह भी जहां इम्बेजलमेन्ट हुआ है, रुपया वापस नहीं हुआ है और उस तरह से ऐडजस्टमेन्ट नहीं किया गया है। तो अगर उस आरगैनाइजेशन में कहीं त्रुटि है और जांच के कागज लिक्वीडेशन, कम्प्रोमाइज या अवार्ड में पड़े हुए हैं तो इस गलती को सुधारने के लिए जो जरूरी हो, वह कीजिए। आज आडिट सेक्शन बहुत इम्प्रूव कर गया है पिछले दो तीन वर्ष से और गलतियां पकड़ी जा रही हैं। लेकिन क्या मारकेटिंग यूनियन को विकास मंडल का नाम दे देने से काम अच्छा होगा? ऐसा करने से काम में बाधा पड़ेगी और विहार के चीनी का व्यवसाय चौपट हो जायगा और किसान भी ईख की खेती करना ज्यादातर छोड़ देंगे। हमारे मंत्री महोदय ने भी यह बात कही है कि १२,१४ करोड़ रुपया देकर किसानों की माली हालत को सुधारा गया था, और जहां किसान १ रु० १२ आ० मन ऊख बेचते थे आज लाचारीवश १ रु० २ आ० और १४ आ० मन बेचते हैं। इसका कारण यह है कि अन्प्लैन्ड तरीके से प्रोडक्शन होता है और लाचारीवश कम दाम में किसान को ऊख बेचना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि इनहेरेन्ट डिफेक्ट है इसमें और सुचारु रूप से काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्लैंड तरीके पर अगर ऊख की पैदावार नहीं हुई तो किसान की हालत बहुत बदतर हो जायगी और उसके बाद हमारे सूबे का एक बहुत बड़ा व्यवसाय बर्बाद हो जायगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि एक छोटी कमिटी ओफीश्यल्स और ननआफीश्यल्स की बनाकर, उसके द्वारा या आफीश्यल्स के द्वारा ही ऐसा करें कि प्लैन्ड प्रोडक्शन हो। इस संबंध में मैं तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर हमको सहकारी संस्थाओं के द्वारा सभी कामों को करना है, अगर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रोजगार को इसके द्वारा चलाना है, और आज जैसा कि हर तरह की सोसाइटियां बन रही हैं, कन्ज्यूमर्स सोसाइटी है, वगैरह, वगैरह, तो इन्हें देखते हुए हमको इस नीति को अखतियार करना पड़ेगा कि पहले हम जनता की जरूरत को समझें और उसके मुताबिक ही काम करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सहकारिता को कामयाबी नहीं हासिल होगी। दूसरी बात यह है कि सहकारिता के आधार पर चीनी मिल खोलने की बात हुई, लेकिन सब कुछ कागज पर

ही रह गया। एक चीनी मिल सहकारिता के रास्ते पर चलने को थी लेकिन उसमें तरह-तरह की अड़चनें लगीं ताकि वह सहकारिता के आधार पर नहीं चलाई जाय, यहां तक कि उसके चलते दो-दो खून तक हुए। इसलिए मैं कहूंगा कि कंट्रोल्ड प्रोडक्शन करने की जरूरत है और तभी सहकारिता को सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इंव्हीडियस डिस्टिंकशन इसमें नहीं रहे। सहकारिता में क्लोज सर्विस की बात नहीं रहे, यह इतना टाइट नहीं रखा जाय। दूसरी जगह के लोगों को यहां आकर देखने का और यहां के लोगों को दूसरी जगह जाकर वहां की चीज देखने का अवसर मिलना चाहिए। मैं अदब के साथ मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस क्लोज सर्विस की चीज को सहकारिता से हटा दें।

दूसरी बात यह है कि इसके ऐक्ट्स और रूल्स, १९३९ के ऐक्ट के अनुसार ही अब तक हैं। आज पांच वर्ष से उनको बदलने की बात हो रही है लेकिन अभी तक जैसी की तैसी सब चीज है और मुझको शक है कि इस सरकार की अवधि में यह हो भी सकेगा। मैं चाहता हूं कि जो त्रुटि हैं ऐक्ट में उनको जल्द से जल्द हटा दिया जाय। अन्यथा सहकारिता के काम में बहुत अड़चनें होंगी।

तीसरी बात यह है कि मेरा सुझाव है कि अभी ऐसी बात है कि जिन लोगों ने तीन वर्ष तक काम सहकारिता में किया है उनका चुनाव फिर रजिस्ट्रार की इच्छा पर निर्भर करता है; वह चाहेगा तभी हो सकता है। किसी-किसी का सारा जीवन सहकारिता के कामों में ही बीतता है और किसी-किसी को तीन वर्ष के बाद ही हट जाना पड़ता है, इस नियम के अनुसार। इसके चलते बहुत जगह वैमनस्य पैदा हो जाता है और लीटीगेशन तक हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जैसा एसेम्बली के चुनाव के लिए है कि इन ऐवों के लिए ऐसा आदमी खड़ा नहीं हो, वैसा ही कर दिया जाय और किसी की मर्जी पर इसको नहीं छोड़ा जाय।

चौथी बात यह है कि दो-चार आदमी आफीश्यल और ननआफीश्यल की, एक कमिटी बनाकर यह देखा जाय कि सेन्ट्रल बैंक, मारकेटिंग यूनियन और स्टेट बैंक में कहां और क्या-क्या त्रुटियां हैं, और क्यों आम जनता सहकारिता की तरफ आकर्षित नहीं होती है, बावजूद आपकी सिंसियरिटी के। इन चीजों की छानबीन करके तब सरकार को कदम उठाना चाहिए और जो भी कसूरवार हों उनको इस संस्था से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम यह उचित नहीं समझते हैं कि दरवाजा बन्द रखा जाय किसी के चुनाव के खिलाफ और उसका चुनाव किसी खास व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करे। यह दरवाजा सभी के लिए खुला रहना चाहिए।

अभी समय-समय पर प्रचार में ही लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं और इसके कामों के ऊपर साहित्य छपवा कर बांटा जाता है, और इस तरह से इसकी शिक्षा लोगों को दी जाती है और उनको विश्वास में लाया जाता है। इसके लिये योजना आयोग भी रुपया देता है और कहता है कि इस-इस चीज को राष्ट्रीय-करण करके तथा क्रेडिट एग्रीकोल खोल करके और इस पर ग्रन्थ लिखकर, इसके काम का प्रचार करो और ऐसा होने से ही सहकारिता आन्दोलन का प्रचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे सहकारिता मंत्री इन सुझावों के ऊपर विचार करेंगे।

श्री दामोदर झा—उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोआॅपरेटिव मिनिस्टर ने जो अपने विभाग के लिये मांग सदन के सामने पेश की है इस पर माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। ऐसा करते हुए मैं आपके सामने यह बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इस विभाग में गड़बड़ी और धांधली होती है। किस तरह से दूसरी पार्टियों के हाथ में किसी कोआॅपरेटिव यूनियन को नहीं जाने दिया जाता है, किस तरह से इस विभाग के अफसर मिनिस्टरों के मन के मुताबिक काम करते हैं और किस तरह से मिनिस्टर लोग अपने मन के लायक आदमी या अपनी जाति भाई या रिश्तेमन्द के नाम पर कोआॅपरेटिव यूनियन का संगठन करते हैं। किस तरह मुजफ्फरपुर जिले के सीतामढ़ी सबडिवीजनल सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव यूनियन का काम होता है उसको आज मैं आपने सामने रखना चाहता हूं। १९४७ में ही सीतामढ़ी में एक सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव यूनियन बना जिसमें लगभग ९ या १० सौ शेयरहोल्डर हैं। इस यूनियन का संबंध इस इलाके के सैकड़ों कोआॅपरेटिव सोसाइटियों से है। इसके भीतर जाने के पहले भूमिका के तौर पर यह बतला देना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में एक केनमार्केटिंग यूनियन है और दूसरा रीगा में है। इसके चेयरमैन एस० डी० ओ० होते रहे हैं। जो भी एस० डी० ओ० इसके चेयरमैन होते हैं वे लोग यहां के मिनिस्टरों के इशारे पर नाचते हैं और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वहां पर उनका टिकना मुश्किल हो जाता है। बहुत से अफसर इन ५ या ६ वर्षों के अन्दर ६ महीना या ९ महीना या वर्ष के भीतर ही बदल गये और वे इसी सचिवालय में आज भी विद्यमान हैं। जब सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव यूनियन बनी, तो इसके सभापति एक गैर-सरकारी सज्जन चुने गये। दुर्भाग्य की बात यह हुई कि जिस पार्टी की यहां पर हुकूमत है उस पार्टी के आदमी इसके सभापति नहीं चुने गये, न इसके डाइरेक्टर उस पार्टी के कोई आदमी चुने गये। यह बात सरकार की नजर में बहुत खटकनेवाली हो गयी। १९४९ से ही इसके लिये साजिश होने लगी कि किस तरह से इसके संगठन को तोड़ा जाय और इस यूनियन को बदनाम किया जाय। इस समय समूचे प्रान्त में चोरबाजारी हो रही थी और उसके नाम पर समूचे प्रान्त की दूकानों की तलाशी ली गई और इस यूनियन की भी तलाशी ली गई। इस यूनियन के सब कागज-पत्र भी ले लिये गये। इसके चेयरमैन, डाइरेक्टर और बोर्ड के कई सदस्यों को पकड़ कर जेल में भेज दिया गया और इस यूनियन को बदनाम किया गया कि यह चोरबाजारी करता है। इस संबंध में जो केस चला उसको तो बाद में यह कह कर उठा लिया गया कि यहां पर चोरबाजारी नहीं होती है। इसके बाद यह दिखलाया गया कि इसके शेयरहोल्डर को जहां पर ४ प्रति सैकड़ा मुनाफा देने की बात थी वहां पर घाटा हुआ है। इस विभाग के आडिटर भेजे गये और लगभग २५ हजार रुपया इस यूनियन के चेयरमैन पर सरचार्ज दिखलाया गया। इसके बाद हिसाब-किताब हुआ और चेयरमैन के ऊपर एक पैसा भी नहीं गिरा। यह सब तो चाल थी कि इस यूनियन को किस तरह से बदनाम और परेशान किया जाय क्योंकि यह यूनियन सरकारी पार्टी के विरोधी पार्टी के हाथ में था। इसलिये अफसरों को कह कर इस यूनियन के लोगों को तंग और परेशान किया गया। इसके सब कागजपत्र को जब्त कर लिया गया। इसके शेयरहोल्डर का जो रजिस्टर था उसको भी जब्त कर लिया गया और बार-बार मांग करने पर भी उनको नहीं दिया गया। यह बात १९४९ की है और आज १९५६ में भी वह रजिस्टर सरकार के कब्जे में ही है। इसके बाद एक बार सरकार की ओर से यूनियन को कहा गया कि तुम फलां तारीख तक चुनाव करा लो।

यूनियन की ओर से शेयरहोल्डर रजिस्टर की मांग की गयी। लेकिन वह रजिस्टर नहीं दिया गया। यूनियन के पास न रजिस्टर था और न कोई सूची ही थी जिसके आधार पर कोई चुनाव हो। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से एक सर्वसाधारण नोटिस निकाली गयी कि सीतामढ़ी कोऑपरेटिव यूनियन के जितने शेयरहोल्डर लोग हैं उनको अमुक तिथि को चुनाव करने के लिए एकत्रित होना चाहिये और एक या दो हज़ार इस तरह की नोटिस बांटी गयी। डिप्टी रजिस्ट्रार, मुजफ्फरपुर, ऐडीशनल कलक्टर, एस० डी० ओ० आदि जितने अफसर थे सब वहां पर गये। यूनियन के सभापति या उसके बोर्ड के किसी सदस्य को इस चुनाव का सभापति न बनाकर ऐडिशनल कलक्टर को इसके लिये सभापति बनाया गया और दूसरी पार्टी के यानी सरकार के खिलाफ की पार्टी के लोगों को इस चुनाव-सभा में बोलने के लिये मौका नहीं दिया गया जिसमें वे यूनियन पर लगाये गये इल्जाम की सफाई दे सकें। इस यूनियन के बाईलौज में यह है कि इस यूनियन के सभापति, उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन या उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के कोई सदस्य ही इस चुनाव-सभा का सभापतित्व का पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन इस बाईलौज के खिलाफ ऐडिशनल कलक्टर को इस सभा का सभापति बनाया गया।

बोर्ड के कई एक सदस्य के रहते हुए भी ऐडिशनल कलक्टर साहब सभापति बना दिए गए। वहां पर आर्म्ड पुलिस भी बुलायी गई थी। एस० डी० ओ० को चेयरमैन बना दिया गया। इसके विरुद्ध बोलना चाहते थे तो कहा गया कि यह सभा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से बुलायी गयी है और यह आफिशियल मीटिंग है, इसलिए आप लोग नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से काम होता है और कोऑपरेटिव के पदाधिकारियों को गाली दी जाती है और कहा जाता है कि ये इतना रुपया खा गए और उतना रुपया खा गए। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे कितने रुपये खा गए हैं, क्या उसका कोई हिसाब-किताब है? उपाध्यक्ष महोदय, इस कांड का यहीं पर खात्मा नहीं हो जाता है। तरीका यह है कि चुनाव के बाद सभा बुलाई जाती है और उनमें से चेयरमैन तथा सेक्रेटरी का चुनाव होता है, उसके बाद नयी कमिटी बाजाप्ता चार्ज लेती है। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि एस० डी० ओ० एक मजिस्ट्रेट को भेजता है और उनके साथ में पुलिस भी भेजी जाती है, लेकिन जब वे लोग सीतामढ़ी कोऑपरेटिव ऑफिस में पहुंचे तो ताला तोड़ने की कोशिश की। इस पर पुराने पदाधिकारियों ने उनको ताला तोड़ने से रोका और कहा कि ताला क्यों तोड़ते हैं। इसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं। फिर एस० डी० ओ० से बातचीत करते हैं और उसके बाद एक दूसरे मजिस्ट्रेट श्री भी० एन० सिंह को भेजा जाता है। उसके बाद उसका ताला तोड़ दिया जाता है और वहां का जितना कागजपत्र था या सामान था उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया जाता है। बात इतने पर ही खतम नहीं हुई। इसके पुराने सभापति, सेक्रेटरी और कई एक शेयरहोल्डर लोगों को पकड़ कर १०७ दफा में जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यही कोआपरेटिव चलाने का तरीका है। क्या आपका यही न्याय है कि अगर विरोधी पार्टी के हाथ में कोआपरेटिव सोसाइटी रन करती हो, वह आपके ऑफिशियल्स के मन के लायक काम न करती हो, तो उसके काम में हस्तक्षेप करें? उसके कागजपत्र को जबरदस्ती ले लें? और उसके मेंबरों को पकड़ कर जेल में रख दें? और सामान बरबाद कर दें। यह कांड यहीं पर खतम नहीं हुआ। वह आगे और बढ़ा और इस चुनाव के विरुद्ध मुकदमे-बाजी हुई। हाईकोर्ट में यह मुकदमा किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में

स्टे-आर्डर कर दिया। पुराने पदाधिकारी यानी ठाकुर युगल किशोर को ताला खोलने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदर्श के बाद वे आफिस में चार्ज लेने गये थे। जिस नये चुनाव को लेकर मुकदमेंबाजियां हुईं, लाठी चली, वह सुप्रीम कोर्ट में समझौते का आधार डिग्री दिया गया। उसके अनुसार ३० मार्च को चुनाव होने जा रहा है। क्या इस तरह के जबर्दस्ती के काम से देश को फायदा पहुंचेगा, यही आपका न्याय है, आपके सरकार की इसी तरह की डिमोक्रेसी है। मैं समझता हूं कि आपके सामने पूरी घटना का कागज वगैरह मौजूद है और अगर आप चाहें तो उन सब चीजों को देख सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ओर न्याय करने की चेष्टा रखें। दूसरी बात यह है कि इस विभाग में जो घूसखोरी चलती है, जो भ्रष्टाचार होता है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपके सुपरवाईजर्स जब औडिट वगैरह काम के लिए जाते हैं तो वे ७-८ रोज तक ठहर जाते हैं और उनको जो खाना वगैरह दिया जाता है उसके लिए वे चार्ज नहीं देते हैं। उनका सारा खर्च खाना वगैरह का वहां के लोगों के मथे पड़ जाता है। दिहातों में जो औडिटर जाते हैं वे लोग सैकड़े ९५ वहां दिहाती एलाकों के कोऑपरेटिव से खाना खर्च लेते हैं। लेकिन शहर में जो सोसाईटी है उन्हें पैसा खर्च करके उन लोगों को खिलाने की परेशानी में पड़ना पड़ता है। अगर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, उनके ऊपर जो खर्च करना पड़ता है अपने हिसाब में लिख कर रखना चाहते हैं तो आपके सुपरवाईजर्स ऐसा नहीं करने देते हैं। इसका नतीजा यह होता है चार-चार पांच-पांच रुपया फी रोज के हिसाब से जो औडिटिंग स्टाफ को खर्च करना चाहिये, वह वहां के लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपने सुपरवाईजर्स को हिदायत कर दे कि आगे से इस तरह का काम वे लोग नहीं करें। और तभी भ्रष्टाचार में कमी हो सकती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केन मार्केटिंग यूनियन का सहायक रजिस्ट्रार जो मुजफ्फरपुर में है वहां कुछ लोग कर्ज के लिए गये थे। वहां के किरानी ने जिनका नाम जै किशोर प्रसाद है, उनलोगों से घूस मांगा। जिनलोगों ने घूस नहीं दिया उनको टाल-मटाल कर और बहानेबाजी कर बहुत हैरान कराया। इस बात के लिए माननीय मंत्री के पास दर्खास्त दी गयी थी। लेकिन आज १॥ साल २ साल होने को आया इसकी जांच तक नहीं हुई और न कोई उत्तर ही दिया गया कि जांच-पड़ताल होगी या नहीं। अगर लोन लेने वाले लोगों को इस तरह से तंग किया जायगा और उसके खिलाफ सरकार के पास जांच के लिये दरखास्त की जाय तो उसकी कोई सुनवाई तक नहीं हो तो इससे जनता को क्या फायदा होगा। सरकार कोआपरेटिव सोसाईटी को आगे बढ़ाना चाहती है। देश के लिए, समाज के लिए और सभी लोगों के फायदा के लिए यह अच्छी बात है कि कोआपरेटिव सोसाईटीज को आगे बढ़ाया जाय। एक और बात हमें यह कहनी है कि आप के यहां बड़े-बड़े लोगों की पूछ होती है, उनलोगों को ५,०००, १०,००० रुपया कर्ज आसानी से मिल जाता है लेकिन जो लोग गरीब हैं जो आप के दरबार तक नहीं पहुंच सकते हैं उनको हैरानी ही हाथ लगती है। एक और बात यह कहना चाहता हूं कि केन मार्केटिंग यूनियन बनाया गया था। उसमें यह व्यवस्था होने वाली थी कि ६६ परसेंट गांव का ऊख यूनियन के द्वारा सप्लाई होगा। उस समय हमारे माननीय मंत्री महेश बाबू विदेश गये हुए थे और माननीय मंत्री श्री दीप नारायण सिंह चार्ज में थे। महेश बाबू के लौटने पर इस संबंध में एक बिल लाया गया और वह बिल सिलेक्ट कमिटी में भेज दिया गया। उसकी २-३ बैठकें हुई। १०-१५ हजार रुपये खर्च हुए। रिजर्व एरिया का केन कंपलसरीली अगर कोआपरेटिव के द्वारा सप्लाई होता तो कुछ पैसे कोआपरेटिव को भी मिल जाते। रांची में जब बैठक

चल रही थी तो मिल के मैनेजर्स और इस विभाग के अफसरान; हमारे सहकारिता विभाग के मंत्री और इंडस्ट्रीज के मंत्री महोदय से मिले और पता नहीं कि उनसे उनकी क्या-क्या बातें हुईं। उसके बाद यह कह कर उस बिल को स्थगित कर दिया गया कि इससे अच्छा बिल ड्राफ्ट करके जल्द से जल्द ला रहे हैं। आज एक साल बीत रहा है लेकिन अभी तक वह बिल खटाई में फूल रहा है। हमारे माननीय मंत्री के बीच जो मिल मैनेजर आते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं, उन्हीं के बातों की कीमत है और उन्हीं की बात मान कर बिल को स्थगित कर दिया गया। जो मार्केटिंग यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव हैं उनकी बातों की आपके सामने कोई कीमत नहीं है। इस बिल के द्वारा २०-२५ केन मार्केटिंग यूनियन को केन सप्लाई हो रहा था और लगभग १०-१५ लाख रुपए का मिलवाले को घाटा हो रहा था और केन कोआपरेटिव यूनियन को मिल रहा था। उसको रोकने के लिए मिलवालों ने षडयंत्र करके स्थगित करा दिया और उस बिल पर १५-२० हजार रुपया प्रवर समिति में बैठ कर खर्च हुआ, वह भी खत्म हो गया। आप चाहते हैं कि सहकारिता की भावना बढ़े तो क्या इसी तरह से बढ़ा सकते हैं कि आप मिल मैनेजर की बात मान लें और उस पर चलना चाहते हैं ? ऐसा करके यदि सहकारी संस्थाओं को चलाना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता है।

मैं दो बातों की ओर और ध्यान ले जाना चाहता हूं उसके बाद मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगा। आप एक तरफ केन मार्केटिंग यूनियन चला रहे हैं और दूसरी तरफ मल्टीपरपस कोआपरेटिव सोसाइटीज चला रहे हैं। दो तरह की सोसाइटी चलाना अच्छा नहीं मालूम पड़ता है। समूचे प्रांत में, एक-एक गांव में दो ढंग की सोसाइटी चल रही है। एक ही संस्था को दो तरह से चला रहे हैं। एक परिवार में यदि ४ आदमी हैं तो उनमें से दो आदमी केन कोआपरेटिव में मेंबर बन जाते हैं और शेष दो आदमी मल्टीपरपस कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बन जाता है। कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता है कि एक ही परिवार के सदस्य दोनों समितियों के सभापति हैं। अगर एक परिवार में दो आदमी हैं तो एक आदमी मल्टीपरपस कोआपरेटिव सोसाइटी का सभापति और दूसरा केन कोआपरेटिव यूनियन का सभापति हो जाता है। इस तरह की धांधली आप चला रहे हैं। इसके लिए समूचे प्रांत में एक साथ कदम उठाना चाहिए। जिस तरह आप कर रहे हैं वैसी हालत में आप सफल नहीं हो सकते हैं। आज समूचे प्रांत में छिन्न-भिन्न समितियां हैं जिन्हें संगठित करना है।

दूसरा प्रश्न है कि आप केन मार्केटिंग यूनियन के जरिए कर्ज देते हैं, खाद बांटते हैं। बहुतसी चीजें उनके हाथों में देते हैं और उसीके द्वारा आप काम करना चाहते हैं। सीतामढ़ी सबडिवीजन में रीगा केन मार्केटिंग यूनियन कर्मचारियों में जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

ये बातें मैंने रीगा केन मार्केटिंग यूनियन के बारे में कही है। वहां कई हजार रुपए की गड़बड़ी हुई है, उसका कोई हिसाब नहीं लग रहा है, उसका कोई पता नहीं लग रहा है। आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप केन मार्केटिंग यूनियन के द्वारा खाद्य का बटवारा करते हैं लेकिन उसका सही-सही मानी में उपयोग होता है कि नहीं, यह फायदे की चीज है कि नहीं, इस पर भी आपको सोचना चाहिए। बहुत जगह कोआपरेटिव में ऐसा हुआ है कि बाहर से बाहर सामान बिक गया और पैसा भी हजम हो गया, उसका रेकर्ड भी नहीं है। मैं रीगा कोआपरेटिव यूनियन के बारे में कह रहा था कि वहां बहुत गड़बड़ी है, अगर आप उसे

ठीक करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। आप २०—२५ कोआपरेटिव यूनियन बनाने जा रहे हैं लेकिन २०—२५ क्या, अगर सारे बिहार में भी आप कोआपरेटिव यूनियन बना दें और जो भ्रष्टाचार और धांधली अभी उन यूनियनों में है, जिस अव्यवस्थित ढंग से इसे चला रहे हैं उसी ढंग से भ्रष्टाचार रहे तो एक करोड़ ८४ लाख क्या ५ करोड़ ८५ लाख भी देते हैं तो भी फायदा नहीं होगा। सचमुच कोआपरेटिव यूनियनों को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से चलाना होगा। एक बात और कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं।

आप वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा जोलाहों से कपड़े बुनवा कर बेचते और खरीदते हैं, उस पर भी कोआपरेटिव के बेसिस पर उनका संगठन किया है। मैं चाहता हूं कि उनका विकास हो और करघा उद्योग का विकास हो, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाय, लेकिन यह एक अजीब ढंग से हो रहा है। एक तो जो कर्मचारी बहाल हो रहे हैं, उसमें जो धांधली होती है, उसमें जो पक्षपात और जातीयता का नग्न नाच हो रहा है वह दूसरे किसी विभाग में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन यूनियनों में कितने लोग बहाल हुए और हर जाति का क्या परसेन्टेज है। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें कितने हिन्दू हैं, कितने मुसलमान हैं और हिन्दू में किस-किस जाति के कितने लोग हैं। इतनी बड़ी चीज आप करने जा रहे हैं उसमें पक्षपात हो, जातीयता का नंगा नाच हो, कौन उसका इंसपेक्टर होगा, कौन मैनेजर होगा, कौन क्लर्क होगा, इन सारी चीजों में गड़बड़ी जो हो रही है उसे रोकना होगा। अगर इस चीज को आप नहीं रोकते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बर्बाद हो जायगा। इसमें कुछ लोगों के भाई, भतीजे, सालों को सर्विस मिल जायगी लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन जो बहाली में धांधली हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम होता है कि एक नौमिनल बोर्ड बनता है उसमें कुछ लोग बैठते हैं और एक लिस्ट तैयार करते हैं। इस लिस्ट के मुताबिक ५० आदमी को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, उसमें जिसकी पैरवी होती है, उसकी बहाली होती है। उसके बाद यदि दूसरे की ज्यादा पैरवी पहुंची तो शाम को वह लिस्ट फाड़ दी जाती है और फिर दूसरी लिस्ट बनती है, इतना ही नहीं, फिर भी १० आदमी का नाम नोट कर लेने के बाद यदि उससे भी अच्छी पैरवी किसी की पहुंची तो फिर उस लिस्ट को फाड़ कर फेंक दिया जाता है और तीसरी लिस्ट बनाई जाती है, इस तरह न जाने कितनी लिस्ट बनाई जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि बहाली के बारे में कोई सिस्टम निर्धारित करना होगा कि किस तरह बहाली की व्यवस्था होगी और किस तरह से काम सुचारु रूप से चलेगा। इस तरह ४-४ बार दिन भर में लिस्ट बनती है और फाड़ दी जाती है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

बहाली करनी होती है तो दिहात के सैकड़ों आदमियों को आप इंटरव्यू कार्ड भेज देते हैं। उनको पटना आने-जाने में २५-३० रुपए खर्च हो जाते हैं और इंटरव्यू आप किस तरह से करते हैं कि उनमें से १० आदमी को लेते हैं और बाकी को वापस कर देते हैं। जब आपको अपने मन के लायक १० आदमी को ही लेना है तो ९० आदमियों को क्यों बुलाते हैं। आप ऐसा करें कि दरखास्त भेज दी जाय और उनमें से चुनकर जिनको बहाल करना है उन्हें बुला लें। इस तरह की गड़बड़ी जो सोसाइटी में चल रही है इसे आपको रोकना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस ढंग से आप सोसाइटी को चलाना चाहते हैं वह नहीं हो पायगा।

अध्यक्ष महोदय, फीगर तो हमारे पास नहीं हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हिसाब-किताब में भी बहुत गड़बड़ी चल रही है। आप अगर तमाम सोसाइटियों का सिलसिलेवार औडिट करा लें तो आप देखेंगे कि किस तरह हिसाब-किताब में गड़बड़ी हो रही है। मुझे जहां तक मालूम है बहुतसे भंडारों में रुपए का शौर्टेज है और रेकर्ड का मुंह मिलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से जो चीजें चली आ रही हैं, उनको आपको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकते हैं तो जिस तरह से और विभागों में बीमारियां हो गई हैं, उसी तरह से इसकी भी हालत हो जायगी। यह विभाग जनता से संपर्क रखता है, अगर इसमें भी भ्रष्टाचार, घूस, पक्षपात रहा और करप्शन रहा तो इसे जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा। एक यूनियन में जहां गड़बड़ी हुई और वह बंद हुई और यह बदनामी हुई कि लोग रुपया खा गये तो इसका असर समूचे सबडिवीजन और जिले पर पड़ेगा और इसके बाद आप चाहेंगे तोभी इसका संगठन करना मुश्किल हो जायगा। इसलिए जो गड़बड़ियां चल रही हैं उनकी जांच करावें और उनका सुधार करें। इतना कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं।

श्री राम सुन्दर तिवारी—अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री ने

सहकारिता विभाग के संबंध में जो अनुदान की मांग की है और अगली पंचवर्षीय योजना में इसका जो नक्शा बतलाया है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि आजतक सहकारिता विभाग में जो कुछ बुराइयां हुई शायद उन्हें महसूस करते हुए माननीय मंत्री ने भविष्य के लिए यह नक्शा बनाया है और योजनाएं बतलायीं हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बिहार की कोऔपरेटिव सोसाइटी के एक कर्मठ कार्य्यकर्त्ता माननीय श्री नन्द किशोर नारायण जी ने भी इस विभाग की खामियों को खुले आम स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान इस विभाग की कुछ खामियों की ओर ले जाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि अगली पंचवर्षीय योजना में इन खामियों के दोहराने का काम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में बिहार सूबे को जो रुपए मिले हैं उनमें अधिकांश रुपए सहकारिता विभाग के द्वारा काम कराने के लिए मिले हैं। इसलिए मैं पिछले कामों की ओर ध्यान देता हूं और देखता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आइन्दा भी यही तरीका रहा तो कैसे क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय, गुरारू मिल की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह मिल सरकार की ओर से सहकारिता के आधार पर चलायी जाती थी और चार-पांच लाख रुपए इसे सरकार द्वारा दिए गए थे। सन् १९५४ में २८ मार्च को गुरारू सहकारिता समिति का चुनाव हुआ। चुनाव के पूर्व इस मिल के अन्दर डेढ़-दो हजार चीनी के बोरे थे। मैंने इस संबंध में प्रश्न भी पूछा था कि चुनाव के पहले चीनी की बिक्री कैसे हुई तो सहकारिता विभाग के मंत्री ने जो जवाब दिया था उससे यह मालूम हुआ कि २८ तारीख को चुनाव के एक दिन पहले ही अर्थात् ता० २७ मार्च को कुल चीनी के बोरे अमुक-अमुक व्यक्ति के नाम से बेच दिए गए। मैंने कीमत जाननी चाही तो हमें बतलाया गया कि २७ रु० ७ आ० से लेकर २८ रु० १२ आ० फी मन तक चीनी बेची गई। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो चीनी का भाव था उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि उस समय दूसरे चीनी मिल वाले ३५-३६ रु० मन बेचते थे लेकिन सहकारिता विभाग की ओर से खास-खास आदमियों के नाम जिन्होंने कभी चीनी का रोजगार नहीं किया, २७ रु० मन चीनी

बेच दी गई और एक-एक आदमी को दो-दो, तीन-तीन हजार का लाभ दिलवाया गया और इस तरह सोसाइटी का करीब चार लाख रुपया बर्बाद किया गया और सरकार ने जो चार लाख रुपया दिया था उसके बारे में कहा गया कि चीनी मिल चलाने में नुकसानी हुई है इसलिए रुपया वापस नहीं हो सकता। यदि ये चीनी सीधे बेची गयी होती तो नुकसानी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों के उत्तर में जो सूची चीनी खरीदने वालों को दी गयी है यदि उसे सरकार की ओर से जांच की जाय तो सत्यता और न्याय का पता लग जायगा। अध्यक्ष महोदय, सन् १९४६-४७ की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि उस समय कंट्रोल के जमाने में कोओपरेटिव बैंक में कई तरह के कारबार होते थे जिसमें कपड़े का भी कारबार था। इन्हें सेंट्रल बैंक से कपड़े दिये जाते थे। सन् १९५२-५३ में इसी सदन में किस-किस बैंक में रुपये बाकी हैं इस तरह के मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया गया कि अमुक-अमुक बैंकों के पास करीब सवा चार लाख रुपये बाकी हैं। चूंकि कपड़ों की गांठें कुछ गायब हो गयी है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि कपड़े वहां गये और रेलवे में गायब होने के गलत बहाने बनाकर वे ब्लैकमार्केट में बेच दिये गये। लेकिन रिपोर्ट यह दी गई कि ट्रान्जिट में गठिये गायब हो गये। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि आजतक उक्त रुपया की वसूली उन कोओपरेटिव बैंकों से नहीं की गयी है। कारण क्या है नहीं समझ में आता है।

श्री दीप नारायण सिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि किस बैंक का वैगन गायब हो गया था ?

श्री राम सुन्दर तिवारी—हमने सवाल पूछा था तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि रुपए की वसूली नहीं हुई और उसके बाद बराबर टाल-मटोल करते आये। लेकिन मैं कहता हूं और हमें जानकारी है कि उनलोगों ने कपड़े के गाठ ब्लैकमार्केट से बेचा। लेकिन सरकार ने जवाब दिया था कि गांठ रेलवे ट्रान्जिट में गायब हो गये और रुपये इसी कारण वसूल नहीं हो रहे हैं। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि यह बात गलत है और माननीय मंत्री चाहेंगे तो बैंक का नाम मैं बतला दूंगा। अभी उसका नाम हमारे पास नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कहता था कि इसी तरह की बातें आपके कोओपरेटिव में हो रही हैं। कपड़े के अलावा हल्दी और नमक के भी रोजगार होते हैं और कोयले का भी रोजगार होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बिहार सरकार ने यह तय किया है कि हर सबडिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कोयला का डीपो रहेगा और उस डीपो से दिहात के लोग कोयला ले जायेंगे। लेकिन कोई परमिट लेकर कोयला के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है कि हमारे कुली से कोयला गाड़ी पर लदवाइए। अध्यक्ष महोदय, लादने की भी एजेंसी स्टेशन और डिपो दोनों स्थानों पर हमारी सरकार ही देती है। एजेंट के कुली से बैलगाड़ी पर कोयला लदवाना पड़ता है। और ऐसा नहीं करने से परमिट रोक दिया जाता है और कोयला नहीं लादने दिया जाता। यह सारी बातें आपके सूबे में चल रही हैं। कोयले की बात लेकर लोगों में काफी असंतोष है। यह एजेंसी भी आपने खास-खास आदमियों को जो बाहरी हैं उन्हें सूबे के लिये दे रक्खी है।

जो कोई उस परमिट को लेकर कोयला लाने जाता है उससे फोर्स किया जाता है कि फलां आदमी से कोयला लदवाओ। इस तरह का तो उस सोसाइटी का काम होता है। यह कोई खास एक जगह की बात नहीं है, यह तो सारे सूबे की बात है।

अध्यक्ष महोदय, अब जहां तक खाद का सवाल है, दूसरी-दूसरी जगहों में खाद ५ रु० ६ आ० में मिलती है, कोआपरेटिव में डेढ़ रुपया ज्यादा में मिलती है। इस तरह के व्यापार में कोऑपरेटिव के नाम पर ५, ७ आदमियों ने मिलकर एक मनोपोली बना ली है और सरकार के रुपये से व्यक्तिगत आमदनी करते हैं। कोऑपरेटिव के रुपये से इस साल उनलोगों ने मिरचाई खरीदी और मुझे मालूम हुआ है कि उसमें १½ लाख रुपये की आमदनी हुई। ये सब रुपये उन्हीं लोगों के पाकेट में गए हैं। अब आप देखेंगे कि रुपया तो सरकार का लगे लेकिन सरकार को आमदनी कुछ भी नहीं हो और दूसरे-दूसरे पूरा मुनाफा कमा लें यह कहां तक न्याय संगत है? इकोनौमिक कमिटी की रिपोर्ट तैयार करने में हमारे सहकारिता मंत्री महोदय भी एक मेंबर थे। ज्वायन्ट रजिस्ट्रार का पोस्ट हटा देने को कहा गया और औडिटर का पोस्ट अर्थ विभाग में मिला देने को कहा गया लेकिन ऐसा आजतक नहीं हुआ। को-आपरेटिव का हिसाब कोआपरेटिव के ही आडिटर जाकर जांच करते हैं और वे लोग सब गड़बड़ियों को छिपा देते हैं। यदि ऐसा नहीं करें तो उनकी नौकरी खतरे में आ जायगी चूंकि उसी विभाग के आधीन में हैं। इसलिये उन्हें अलग करना बहुत जरूरी है।

परसों अखबार में एक खबर मिली है कि एक मैनेजिंग डाइरेक्टर का हिसाब गलत था उसको औडिटर ने पकड़ा तब फिर दूसरा औडिटर आया और उसने किसी तरह से ऐसा मुंह मिला दिया कि वह मैनेजिंग डाइरेक्टर दोषी रहते हुए भी निर्दोष साबित हो गये। इस तरह का तो गोरखधन्धा होता रहता है।

अब में देहात के ऊख वाले किसानों की हालत सुनाता हूं। उसका किस्सा यह है कि देहात में ऊख खरीद-बिक्री करने की काफी सोसाइटियां हैं। इस तरह की ऐसी काफी सोसाइटीज हैं जिन्हें काम करते हुए १० वर्ष गुजर गये हैं लेकिन अभी तक उनका हिसाब जांच नहीं हुआ है। यही नहीं आप अधिकांश सोसाइटीज ऐसी भी पायेंगे जिनके चुनाव भी अभी तक कई साल गुजर जाने पर भी नहीं हुये हैं। चुनाव करा देना, फिर रोक देना, हिसाब जांच नहीं कराना—ये सब इस विभाग के रजिस्ट्रार की मरजी पर है। हाउस में एक बिल आया था कि रिजर्भ एरिया के सब ऊख सोसाइटीज द्वारा ले लिया जाय लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह की गड़बड़ी के कामों में सहकारिता विभाग में आपस में पूरा सहयोग है। चीनी, मिरचा, कपड़ा खाद, आदि लोग बेचकर खा जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। तारीफ तो इस बात की है कि इस सोसाइटी के जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं सबके सब खाने के ही फेर में लगे रहते हैं।

अब जरा चुनाव की पद्धति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सोसाइटीज का जब कभी भूल से चुनाव हो गया और उसका कोई खास विशेष व्यक्ति हार गया और यदि अधिकारी वर्ग उसे चाहते हैं कि वह अधिकारी बने तो सरकार के पास जो कोऑप्ट करने का अधिकार है उसमें उसके बाद पैरवी करके, सोसाइटी के अंदर बहुमत लेकर फिर वहां के अधिकारी बना दिये जाते हैं कि ठीक से सहकारिता का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी को फायदा नहीं है। आपको मालूम होगा कि सरकारी दिन के लिये दो-चार संकल्प भी लिये गये हैं जिसमें हमलोगों ने मांग की है कि बिहार सरकार एक एन्क्वायरी कमीशन बनाये और उसमें सहकारिता विभाग के अंदर जो कुछ भी गड़बड़ी है उसकी जांच की जाय। लेकिन वे रिजोल्युशन नहीं आ सके और इस तरह

खत्म हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं हुजूर के द्वारा सरकार से अर्ज करूंगा कि इसकी इतनी बड़ी बदनामी हो गई है हमें सुनकर आश्चर्य हुआ है कि हमारे नन्द किशोर बाबू जो मल्टीपरपस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कर्ता-धर्ता हैं इसके खिलाफ हैं कि इसको डेवलपमेंट में साथ नहीं किया जाय। मैं समझता हूं कि इस विभाग में क्या त्रुटियां आ गई हैं हमारे सहकारी मंत्री भी इसे जानते होंगे, इसे स्वीकार भी वे करते हैं लेकिन दूसरी ओर लाचारी भी प्रगट करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि एक इन्क्वायरी कमीशन बनाई जाय जिसके चेयरमैन अनऑफिशियल हों, कोई अफसर उसके चेयरमैन न हों, जो इनकी वर्किंग के बारे में, इनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जांच करें और अगली पंचवर्षीय योजना जो चालू करने जा रहे हैं उसमें आप डेफिनिट और कंक्रीट सजेशन दें जिससे काम ठीक से चले। मैं माननीय मुख्य मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मैंने जो कुछ कहा है तत्संबंधी सारे कागजात मंगाकर देखें और एक सम्मेलन विहार विधान सभा के सदस्यों का करें जिसमें इन विषयों पर विचार-विमर्श हो सके। जब सारा काम, पंचायत का काम, ग्रो मोर फूड का काम, हर काम ब्लौक डेवेलपमेंट अफसर, अंचल अधिकारी के जिम्मे दिये गये हैं तो फिर इसकी शिकायत हमारे नन्द किशोर बाबू न जाने क्यों करते हैं कि इसको डेवलपमेंट अफसर के अधीन न रखा जाय। हुजूर, आप सभी चीजों का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो फिर सहकारिता को उसके अन्दर करने में क्या घबड़ाहट है? हमारी समझ से सरकार ने बहुत ही उचित कदम उठाया है कि सहकारिता को डेवेलपमेंट के अंदर में रखने जा रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इसे जल्द कार्यान्वित करे ताकि सारी बुराइयां दूर हो जाएं। हुजूर, जरा सोसाइटीज के कमीशन के रुपये की ओर देखा जाय। वे रैयतों के काम में नहीं खर्च करेंगे बल्कि बड़े-बड़े मकान बनायगें जैसे सुगौली सोसाइटी को ही लीजिये, उसने ६० हजार का मकान ही बना लिया। इस तरह अधिकांश समितियां हैं जो बड़े-बड़े मकान लेकर खरीद-बिक्री का रोजगार करती हैं पर किसानों को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाती हैं।

अध्यक्ष—रुपया इनवेस्ट कर दिया तो अच्छा ही न किया?

श्री रामसुन्दर तिवारी—मकान में इनवेस्ट कर दिया गया लेकिन जो किसान हैं जिनके लिये आपने सोसाइटी बनायी उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियां किसानों को खेत में खड़ी फसल के हिसाब से कर्ज दें तो मैं समझता हूं कि इससे उनको फायदा होगा और किसान अपना आवश्यक काम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में तो लोग कहते हैं कि अंग्रेज नीलहे तो चले गये लेकिन उसकी जगह पर सोसाइटी चली आई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग ऐडवांस लेकर अपना बिजनेस चलाते हैं लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो पाता है। हमारे सहकारिता मंत्री शायद इसे इंकार नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप इसे अच्छी तरह सुधारें और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी न बनायें। कहा जाता है कि कमीशन जो ऊख की बिक्री में मिले उसका उपयोग डेवलपमेंट के काम में हो। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ६० हजार का मकान बन गया लेकिन क्या वहां के कोई भी किसान जिनके पास फूस की झोपड़ी है वह मकान पक्का हो सका है, जिनके पास एक बैल था वे दो नहीं रख पाये हैं तो फिर क्या सुधार, क्या डेवेलपमेंट का काम उससे हो पाया है, क्या हमारे मंत्री महोदय ऐसा एक भी उदाहरण देंगे? मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय सदन में इस बात का जिक्र करें कि किस

सोसायटी को कितने रुपये कमीशन से मिले हैं और कितने रुपये किसानों और ऊख के डेवेलपमेंट में खर्च हुए हैं। हां, बिल्डिंग के डेवेलपमेंट में अवश्य हुआ है। यह बात उसी तरह की है जैसे हमारे माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण चौधरी जी की है जो हाथ के कूटे चावल, ग्रामोद्योग के सामानों के इस्तेमाल की दुहाई देते हैं पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उन्हें पिंटूहोटल में भोजन करते देखा।

श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह—पर्सनल रेफरेंस नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष—भाषण गंभीरता के साथ करना चाहिये और पर्सनल रेफरेंस ठीक नहीं है।

श्री रामसुन्दर तिवारी—मैं इसे उठा लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय एक बार मेरे क्षेत्र छोड़ादानो में गये। वे वहां से लौटती देखा कि ८-९ मील से लोग गरीब मजदूर चावल कूटकर मोतिहारी बेचने के लिये लाते हैं मैंने बतलाया कि ये कर्ज रुपये लेकर धान खरीद चावल कूटते हैं और बाजार में बेचते हैं। इस तरह गांव के गांव लोग हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे इस ग्रामोद्योग को कोऑपरेटिव आधार पर रुपये दे चावल खरीद बाजार में बेचना पसंद करेंगे। मैं उनका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। अंत में मैं उनका ध्यान गरीब हरिजनों के लिये चमड़ा उद्योग को भी सहकारिता विभाग द्वारा चलाने तथा इस तरह के जो छोटे-छोटे गृह उद्योग हैं उन्हें भी चालू करने की ओर ध्यान दिलाते हुये इस विभाग की बुराइयों को दूर कर इसे बढ़िया, मजबूत, उपयोगी बनाने की प्रार्थना कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामसेवक शरण—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कर्पूरी ठाकुर के कटौती-प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की जो खामियां हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार फैले हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव का उद्देश्य कितना सुन्दर था कि इससे लोगों को खासकर किसानों को सहूलियत होगी और सूगर फैक्टरी की ओर से जो धांधली होती थी उसको दूर करने के लिये के० ओ० कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी लेकिन आज हम देखते हैं कि इस ओर इनके जो सुपरवाइजरी अर्गनाइजर स्टाफ हैं वे ध्यान नहीं देते हैं। जैसाकि हमारे राम सुन्दर तिवारी जी ने बतलाया है कि इन सोसाइटियों के जो सेक्रेटरी होते हैं वे किस तरह, किसानों के प्रति अत्याचार करते हैं, वे किस तरह ऊख तौलने में, पुर्जी बांटने में, और किसानों को रुपये देने में अन्याय करते हैं उसका वर्णन करना कठिन है। वे रुपये लेकर अपनी लड़की की शादी कर लेते हैं या खेत खरीद लेते हैं और किसानों को तंग करते हैं। इनके खिलाफ दरखास्त दी जाती है तो उसपर कोई कारवाई नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि मेम्बरों को इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है।

अध्यक्ष—साधारण सोसाइटियों के कितने सदस्य होते हैं।

श्री रामसेवक शरण—कम से कम १५ सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष—तो क्या वे सबके सब गड़बड़ी करते हैं।

श्री रामसेवक शरण—जी नहीं, पावर दिया जाता है प्रेसिडेंट, सेक्रटरी और खजान्ची को। इसलिए सेक्रेटरी मनमानी करता है। हमारे जिले में उसरैया कोआपरेटिव सोसाइटी है। उसके सेक्रेटरी ने रुपया देने में गोलमाल किया। उसपर मुकदमा हुआ। डिग्री भी हुई। लेकिन रुपया मिलने का कोई गुंजाइश नहीं था अंत में आधा रुपया बाद करके आधा रुपया उनको लेना पड़ा। इसलिए में सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच में किसानों को सहूलियत देना चाहते हैं तो आपको इस बात की ताकीद रखनी होगी कि किसानों को समय पर पुर्जी मिले, पुर्जी के रुपये मिले। हमने सोसाइटियाँ इसलिए बनायी थीं कि इसमें ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि हों और पुर्जियों का मुनासिब बटवारा करेंगे और जिसका रुपया होगा उसको समय पर दे देंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है और सेक्रेटरी अपने काम में खर्च कर देता है। इसलिए मैं आपको इस विषय में सुझाव देना चाहता हूं कि इसके हिसाब-किताब की जांच हर साल होनी चाहिए। और इसके कानून में भी संशोधन होना चाहिए। जो सेक्रेटरी हैं उनके हाथ में पुर्जी और रुपया नहीं देना चाहिए। अभी ऐसा नियम है कि जिस गांव में ६६ आदमी मेम्बर हो गये उस गांव में सब के सब किसान सोसाइटी के मेम्बर बन जाते हैं और लोगों को सोसाइटी के जरिये ऊख बेचना पड़ता है। जो मेम्बर हैं वे पहले पुर्जी ले लेते हैं और बाद में कानूनी गैर-मेम्बरों को पुर्जी दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी देख-रेख रखनी चाहिए। समय-समय पर उनकी जांच होते रहना चाहिए। पहले सन् १९४९ में हमारे यहां सोसाइटी बनी थी तो मैं उसका सेक्रेटरी था और उस वक्त सोसाइटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार सोसाइटियों का निरीक्षण करते थे और जो हमारी गलती होती थी बतलाते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं करते हैं। यहां पदाधिकारी दीर्घा में डिप्टी रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं।

श्री देवकी नन्दन झा—यह कहना कि पदाधिकारी दीर्घा में डिपुटी रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं ठीक नहीं है।

अध्यक्ष—हां, ऐसा यहां नहीं कहना चाहिए।

श्री रामसेवक शरण—हरेक सोसाइटी का हरेक साल चुनाव होना चाहिए और बाकी आदमियों को सेक्रेटरी बनने का मौका देना चाहिए। आज एक एक सोसाइटी में ५, ७ वर्ष हो गये हैं, चुनाव नहीं हुआ है। पूछने पर कह देते हैं कि अभी आडिट नहीं हुआ है। आपको अधिक से अधिक आडिटर रखकर सोसाइटियों का आडीट करना चाहिये और हर साल चुनाव कराते रहना चाहिए। ताकि किसी तरह की धांधली नहीं हो। आज सोसाइटियों के जो आँर्गनाइजर और सुपरवाइजर हैं वे जब तक इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तबतक चुनाव नहीं हो सकेगा। सुपरवाइजरों और आर्गेनाइजरों का काम था कि हरेक सोसाइटियों का हिसाब-किताब हर साल आडिट करवावें और चुनाव करवावें। आपको मालूम होगा कि पिछले साल १९५५ में जोरास मार्केटिंग यूनियन के चुनाव में दिन-दहाड़े दो खून हो गये लेकिन तौभी हमारे मंत्री महोदय और विभाग के आदमी इस पर ध्यान नहीं देते। मैं इसलिए कहूंगा कि जहां तक हो सके सोसाइटियों का हरेक साल चुनाव होना चाहिए और सेक्रेटरी चेंज होते रहना चाहिए और सेक्रेटरी लोगों को हाथ में पुर्जी और रुपये नहीं मिलना चाहिए।

श्री देवधारी चमार—अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सरकार हरिजनों को काफी मदद कर सकती है लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार सचमुच हरिजनों की इस समय मदद करना नहीं चाहती है। छोटे-छोटे कुटीर उद्योग का निर्माण करके सरकार यदि चाहे तो हरिजनों को काफी मदद पहुंचा सकती है। जहां तक चमारों का प्रश्न है उनकी आर्थिक दशा वड़ी ही दयनीय है उनके पास न पैसे हैं, न रहने को मकान है, और न उनके पास वस्त्र है। सरकार को चाहिए कि चमड़े के काम करनेवालों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी खोलें जिससे वे अपने पुराने रोजगार को जारी रख सकें। हमारे यहां चमड़े का उत्पादन काफी होता है लेकिन उसका बड़ा अंश कच्चे माल की शक्ल में विदेशों को भेज दिया जाता है और जो यहां वच भी जाता है वह वरवाद हो जाता है। यदि सरकार कोआपरेटिव योजना के द्वारा चमारों को मदद दे तो जो चमड़े अभी वाहर भेज दिये जाते हैं उनका खपत देश में ही हो जा सकता है और गरीव चमारों के लिये रोजगार का प्रवंध हो जायगा।

हड्डी और सींग के खिलौने और कंघी का अच्छा रोजगार चल सकता है और साथ ही हड्डी से खाद बनाने से खेती में प्रगति आएगी तथा किसानों को भी काफी लाभ होगा और हरिजनों को भी आर्थिक दशा इससे सुधरेगी।

सरकार को चाहिये कि इसी तरह और छोटे-छोटे रोजगार जैसे टोकरी, सूप, कुर्सी, टेवुल जो बांस और बेंत के बनाये जाते हैं इन कामों में यदि मदद करे तो इससे भी डोम और चमारों की आर्थिक दशा में काफी सुधार आ सकती है।

सरकार की नीति है कि भूमिहीनों को जमीन दे। लेकिन मैं समझता हूं कि भूमि देने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि ऊपर बताये हुए छोटे-छोटे कारबार के चलाने में सरकार उनकी मदद करे।

आजकल शहरों में सुबह उठकर दाढ़ी-हजामत बनाना बहुत जरूरी समझा जाता है। आप जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में जो ब्रस इस्तेमाल किया जाता है वह सूअर के बाल का होता है और इसी तरह टूथ-ब्रश भी सूअर के वाल का होता है। यदि कुटीर उद्योग के रूप में इस रोजगार को सरकार सूअर पालनेवाले और चमारों के द्वारा करावे तो इसकी काफी खपत होगी और चमारों की हालत में इसके द्वारा काफी सुधार होने की संभावना है।

हरिजनों की आर्थिक दशा इतनी खराव है कि उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है लेकिन कर्ज को वसूल करने की शक्ति न रहने के कारण वे बेचारे उस गांव को छोड़कर दूसरे जिलों में अथवा दूसरे प्रांत में वे चले जाते हैं और इसी कारण वे गरीब ज्यादा दिन तक एक गांव में टिक नहीं पाते।

अभी इस गांव से उस गांव और इस जिले से उस जिले और इस सूबे से उस सूबे तक दौड़ते फिरते हैं कहीं पनाह नहीं मिलता है। सरकार के सामने जो अभी समाज-वादी ढांचा का समाज कायम करने का प्रस्ताव है उसके अन्तर्गत हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिए कोआपरेटिव सोसाइटी सबसे बढ़िया साधन है। कम-से-कम इस उपाय को सरकार को लागू करना चाहिए। अभी हरिजनों के पास कोई उपाय रहने, टिकने या खाने-पीने के संबंध में या एक जगह मिलने के संबंध में नहीं है। माननीय मंत्री तो यह अच्छी तरह जानते हैं और गरीवों में भी वह जाते हैं। उनको इस तरफ ध्यान देना उचित होगा। माननीय मंत्री अपने विभाग में हरिजनों को मामूली नौकरी देने से कम-से-कम खयाल करें। चपरासी या किरानी वगैरह का काम हरिजन कर

सकते हैं । अभी जो दरखास्त वे देते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । साहेब-सूबे भी यह नहीं चाहते कि हरिजन को जगह मिले । इसलिए खासकर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हरिजनों को आगे बढ़ाने में अपने विभाग में ध्यान दें ।

श्री नवल किशोर सिंह--अध्यक्ष महोदय, सहकारिता से संबंधित एक कार्यकर्त्ता होने के नाते मुझको इस बात की खुशी हुई कि मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के विचार, इस आंदोलन के संबंध में सुन रहा हूं। मैं उम्मीद करता था कि इस आंदोलन के संबंध में हम कार्यकर्त्ताओं को जो इसमें लगे हुए हैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अच्छा मार्ग दर्शन मिलेगा। मुझको इस बात का कष्ट हुआ कि इस विषय पर हमारे माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट करने के पहले न इसका कोई अच्छा अध्ययन ही किया और न इस आंदोलन की प्रगति को समझने की कोशिश ही की। कम से कम मुझको ऐसा ही लगा।

श्री फजुल रहमान--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसी पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष--किसी माननीय सदस्य पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री नवल किशोर सिंह--लेकिन मुझको यह कहने का तो हक है कि माननीय सदस्य ने इस विषय को अच्छी तरह नहीं समझा? मैंने किसी पर आक्षेप नहीं किया।

अध्यक्ष--आप इतना तक कह सकते हैं कि माननीय सदस्यों ने यह गलती की।

श्री राम चरित्र सिंह--वह ऐसा कह सकते हैं कि ठीक से अध्ययन नहीं किया। ठीक से अध्ययन करते तो ऐसी बात नहीं कहते।

श्री नवल किशोर सिंह--सहकारिता आंदोलन के संबंध में बोलते हुए हमारे एक माननीय मित्र ने इसकी निलहा साहबों से और ईस्ट इंडिया कम्पनी से तुलना की। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिस पर हमारे गांवों का आर्थिक विकास एक बड़ी हद तक निर्भर है। उसकी इस तरह से आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। मैंने, अपने मित्र, श्री दामोदर झा जी के भाषण को बहुत गौर से सुना। मैं उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि श्री दामोदर झा जी ने जो बातें कही हैं वह निस्संदेह सहकारिता आंदोलन के आदर्श को एक धक्का लगानेवाली चीज है। अगर सहकारिता आंदोलन का गैर-सरकारी रूप रखना चाहते हैं तो श्री दामोदर झा जी ने जो बातें कही हैं, सीतामढ़ी यूनियन के चुनाव के विषय में मुजफ्फरपुर से अधिकारी को भेजकर चुनाव कराया गया, स्वतंत्र चुनाव में दस्तंदाजी की गई उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। अभी तक इस सदन में सरकार की ओर से उन सारी बातों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। सदन

को यह जानने का हक है कि सीतामढ़ी का चुनाव क्यों इस तरह कराया गया। गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं का विश्वास इस आंदोलन में रहे, इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करे।

एक निवेदन में और करूंगा। माननीय मंत्री जी ने अभी मांग-पेश करते हुए अपने प्रारंभिक भाषण में कुछ घाटाओं का जिक्र किया जो सेन्ट्रल बैंकों को लगे। अच्छा होता कि हमलोग यह जानते कि यह घाटा सेन्ट्रल बैंकों को कैसे लगा। शायद हमारे मित्रों को नहीं मालूम है कि एक सेन्ट्रल बैंक का स्टेट कोआपरेटिव बैंक से क्या संबंध है। बात यह है कि पिछले नियंत्रण के युग में स्टेट कोआपरेटिव बैंक के एजेंट और होलसेलर की हैसियत से सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक कपड़े आदि का कारबार करते थे। कपड़ा मंगाना और उसे सेट्रन्ल बैंक को भेजना यह सारा काम स्टेट कोआपरेटिव बैंक का था। कपड़ा मंगाना और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को भेजने का काम स्टेट कोआपरेटिव बैंक का था। सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक तो प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज को कपड़ा देता था और इसके लिये उसे बीच में कमीशन मिलता था। एक युग ऐसा आया कि जब सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के गोदाम में काफी कपड़ा था और उसके बाद ही कपड़े पर से नियंत्रण उठ गया। तभी कपड़ा का दाम भी घट गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के गोदाम में कपड़ा बहुत दिनों तक पड़ा रहा और इस कपड़े को बेचने में इसको काफी नुकसान हुआ। सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का यह उत्तरदायित्व नहीं था कि कौन-सा कपड़ा किस समय पर कितना मंगावे या कब मंगावे, जाड़ों के कपड़े गर्मियों में और गर्मियों के कपड़े जाड़े में आते थे। लेकिन जब घाटा लगा तो सारा घाटा स्टेट कोआपरेटिव बैंक की मिहरबानी से सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के माथे मढ़ा गया और स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने सिर्फ इतनी मेहरबानी की कि उसका सूद माफ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को इससे गहरा धक्का लगा और इससे आंदोलन आगे जाने के बजाय पीछे गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन को यदि आप आगे चलाना चाहते हैं और उसमें नया जीवन लाना चाहते हैं तो रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को उन्नतिशील बनाना आपका कर्त्तव्य है।

(इस अवसर पर श्री त्रिवेणी कुमार ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

लेकिन अभी तो सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को, स्टेट कोआपरेटिव बैंक के घाटे के वहन करने का एक साधनमात्र बनाया गया है।

दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को फर्टिलाइजर बेचने की एजेंसी है। जिस इलाके में स्टेट कोआपरेटिव बैंक का गोदाम है वहां पर इसको उसी के गोदाम से लोगों को दिया जाता था और उसके प्रचार और देखरेख के लिये केन्द्रीय सहकारिता बैंकों को कुछ कमीशन मिलता है। लेकिन इस पर जो खर्च होता है (सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक प्रबंध में खर्च करता था) उसके एवज में उसको कमीशन मिलता था। इस काम के लिये जो भी खर्च होता था उसके लिये स्टेट कोआपरेटिव बैंक की स्वीकृति लेनी पड़ती थी और उसी की स्वीकृति से ही खर्च होता था। लेकिन ४ या ५ वर्ष के बाद जब कमीशन का हिसाब-किताब हुआ तो वह कमीशन कोआपरेटिव बैंक के किये गये खर्च से भी कम निकला। इसका हिसाब-किताब किया गया, उस समय सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं था और न इसके बारे में उससे कोई राय ली गई। इसका सब काम तो स्टेट कोआपरेटिव बैंक के हुक्म से हुआ लेकिन जब घाटा लगा तो उसको सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के मथ्थे मढ़

दिया गया। चूंकि स्टेट कोआपरेटिव बैंक राजधानी में है इसलिये उसी की बात सुनी जाती है और वह बैंक जो कुछ चाहता है वही होता है। इससे सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को हरेक काम में घाटा लगता है और सहकारिता आंदोलन आगे नहीं बढ़ता है। अगर हमारे माननीय मंत्री सचमुच सहकारिता आंदोलन को चलाना और सफल बनाना चाहते हैं तो उनका ध्यान इसकी ओर जाना चाहिये।

इसके बाद यह सही है कि हमारे साथी राम सुन्दर तिवारी ने जैसा कहा है कि प्रारंभिक सहकारिता समितियों की अवस्था अच्छी नहीं है। हम भी उनके इस बात से सहमत हैं। आज सहकारिता समितियां दिहातों में अपनी लोकप्रियता को नष्ट कर रही है क्योंकि उनकी देख-रेख में कमी है। ५ या ६ वर्ष के अन्दर में उनका ऑडिट नहीं होता है। उनका चुनाव भी ठीक समय पर नहीं होता है। जब इसका सवाल उठाया जाता है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि उसके पास आदमियों की कमी है और स्टाफ की कमी है। अगर हमलोग सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस कमी को दूर करना होगा और जितना जल्द इस दिशा में कदम उठाया जाय, उतना ही अच्छा होगा।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय नये मंत्रीमंडल का गठन हुआ था उस समय इस विभाग के मंत्री का एक पॉलिसी स्टेटमेंट हुआ था कि उनकी नीति क्या है। वे इस आंदोलन को पूर्णतः डिऑफिशियलाइज करना चाहते थे। वे इसके लिये ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति इस आंदोलन में अपना योग दें यह पूर्णतः गैर-सरकारी हो और सरकारी हस्तक्षेप कम हो। लेकिन बावजूद इस नीति के आज भी योग्य व्यक्ति इस आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और यह एक ऐसी दलील है जिसको सरकार की ओर से हमेशा कही जा सकती है। कभी भी तो सरकार को इस कमी को दूर करने के लिये प्रयास करना होगा जिसमें यह आंदोलन कार्यकर्त्ताओं की दृष्टि से समृद्ध हो सके। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इस ओर हमारे मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया तो यह आकाश कुसुम ही रह जायगा।

श्री शिवभजन सिंह—सभापति महोदय......।

श्री प्रभुनाथ सिंह—इसको खतम करके पी०डब्लू०डी० बजट को लिया जाय, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है।

सभापति (श्री त्रिवेणी कुमार)—इस पर सदन की राय ली जाय। अभी मैंने एक माननीय सदस्य को बोलने के लिये पुकारा है, पहले वे बोल लेंगे, तब इस पर विचार किया जायगा।

श्री रामचरित्र सिंह—यह तो हाउस का विषय है, अगर हाउस समझे तो इस पर वादविवाद किया जा सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—मैं चाहता हूं कि अब क्वेश्चन रखा जाय।

सभापति (श्री त्रिवेणी कुमार)—पहले माननीय सदस्य बोल लेंगे तब प्रश्न रखा जा सकता है।

श्री शिवभजन सिंह—सभापति महोदय, मैं कोआपरेटिव विभाग के कुछ खामियों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। कोआपरेटिव सोसाइटी का जो काम है कि आपस में मेल-मिलाप करके, सहयोग से काम ले, तो अच्छा काम हो सकता है। लेकिन आजकल ऐसा न होकर यानी सहयोग से काम नहीं लिया जाकर उसके उलटा ही काम होता है। लोगों में असहयोग है और भारी मतभेद है। मैं एक उदाहरण जहानाबाद कोआपरेटिव सोसाइटी के बारे में देना चाहता हूं। वहां के चुनाव के बारे में मुझे कहना है। १९५४ में जहानाबाद में कोआपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ, लेकिन २-३ बार चुनाव को लगातार स्थगित करने के बाद चुनाव हुआ, वहां के लोगों का कहना था कि यह चुनाव वैधानिक ढंग से हो, लेकिन उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया और मनमाने ढंग से चुनाव हुआ। जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग सहयोग समिति को सहयोग बन्द कर देना पड़ा। तो मेरा कहना है कि अगर आप इन सहयोग समितियों से जनता को फायदा करना चाहते हैं तो समितियों का चुनाव बैलट पेपर के जरिए गुप्त मतदान के द्वारा कराइए।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि जहानाबाद थाने के कितने मल्टी परपस सोसाइटी में रुपये की गड़बड़ी हो गयी है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इसकी छान-बीन करावें और उस पर कार्रवाई करें। एक दूसरी मल्टीपरपस सोसाइटी नोनही ग्राम में है, जिसके खजानची श्री रामप्रीत सिंह ने १,७०० रु० अपने निजी काम में खर्च कर दिया। इसकी खबर गया के रजिस्ट्रार को सचिव महोदय ने दी कि उसका हिसाब-किताब किया जाय। जब वहां पर नया चुनाव किया जा रहा था, तब उनसे हिसाब-किताब मांगा गया तो वे चुनाव के दिन कुछ लठैतों के साथ आये और रजिस्टर बही, कार्यवाही बही और हैसियत बही को उठाकर ले गए, इसलिए कि न वही रहेगी और न हमसे हिसाब-किताब लिया जायगा। गया के रजिस्ट्रार ने इन्सपेक्टर को भेजा भी, और वहां के एक प्रतिनिधि भी साथ आये, लेकिन वे सब लोग देखते ही रह गए और उनके सामने ही में बही सब जो लठैतों के साथ थे उठा कर चल दिए और उन्होंने जबर्दस्ती की। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर आप किसी गांव में मल्टीपरपस सोसाइटी चला रहे हैं तो उसमें अगर कोई व्यक्ति विशेष निजी काम में उसका रुपया खर्च करता है तो उसकी छान-बीन की जाय और उस पर कार्रवाई भी की जाय। दूसरी बात मैं औडिट के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे गया जिले के किसी भी मल्टीपरपस सोसाइटी में औडिट ठीक समय पर और ठीक ढंग पर नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार ठीक समय पर औडिट करावे और उसकी रिपोर्ट इस सदन के सामने रखे ताकि यह पता चल जाय कि किस सोसाइटी में कितने रुपये की गड़बड़ी हुई है या नहीं। एक बात मैं और दलबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। चुनाव के समय में दलबन्दी होती है, नतीजा यह होता है कि जो अच्छे उम्मीदवार रहते हैं उनके चुनाव में गड़बड़ी होती है। हमारे यहां के चुनाव में कुछ लोगों ने किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें वहां के सोसाइटी से खाद मिलना बन्द हो गया। दो एक बार वहां के लोगों ने खाद के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन खाद नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सहयोग समिति चलाना चाहते हैं

तो आपस में सहयोग की भावना को की पैदा करने का प्रचार करें। जब तक दलबन्दी की भावना और असहयोग की भावना लोगों में बनी रहेगी और लोगों में सहयोग की भावना नहीं आयेगी, तब तक आपकी सहयोग समिति नहीं चल सकती है। आजकल इनके ऑफिसरों के दिमाग में भी असहयोग की भावना बनी हुई है। तो इनको भी दूर करना होगा जिससे वे जनता से भी सहयोग से काम लें। आपको आम जनता को फायदा देने के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करना होगा, तभी सहयोग समितियां चल सकती हैं।

दूसरी बात मैं जम्होर केन मार्केटिंग यूनियन जिला गया के बारे में कहना चाहता हूं। इस यूनियन के सचिव महोदय ३०-३५ हजार रुपये हजम कर गये। उन पर केस किया गया, लेकिन सचिव महोदय ने इसके रेकर्ड को जला दिया, इसलिये कि रेकर्ड ही नहीं रहेगा तो केस कैसे चल सकता है।

सभापति (श्री त्रिवेणी कुमार)—क्या वह रेकर्ड दाखिल किया गया था या नहीं?

श्री शिवभजन सिंह—रेकर्ड दाखिल नहीं किया गया चूंकि उसके पहले जला दी गई थी। तो मेरा आपसे यह कहना है कि जब सचिव महोदय की यह हालत है कि वे रुपये को गड़बड़ भी कर देते हैं और फिर रेकर्ड भी जला देते हैं तो औरों की क्या हालत हो सकती है। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए तभी सहयोग समितियां अच्छी तरह से चल सकती हैं।

आम जनता का धर्म है कि सहयोग समिति में शेयर खरीदे लेकिन शेयर हम ले सकेंगे या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसका उदाहरण मैंने रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ी आज सहयोग समिति के अन्दर चल रही है, इसके लिए छानबीन होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि जम्होर में जो गड़बड़ी हुई है, उसकी पुनः जांच करें और दोषी को उचित सजा दें। उस यूनियन में जो ३५ हजार रुपया नाजायज ढंग से खर्च किया गया है, जिनका पैसा खर्च हो गया है उनको वापस दिला देना जरूरी है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जहानाबाद में कांटा खड़ा किया गया है। पहले गुड़ारू मील कोआपरेटिव के जरिए ऊख खरीदता था। इस साल कोआपरेटिव को नहीं मिला और न किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया है। उसके तौल में उन्होंने गड़बड़ी की, इसके अलावा २०० गाड़ियां जब किसानों ने लायी तो कांटा को बन्द कर दिया गया, ८ दिन तक कांटा बन्द रहा। मैंने एस०डी०ओ० साहेब से मिल कर कहा कि ऊख तौला दीजिए, उन्होंने कोशिश की और ऊख तौल लिया गया। ऊख तो तौल लिया गया लेकिन रसीद जो मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी। उन्होंने एकन्नियां टिकट साट कर रसीद दे दी लेकिन रुपया अभी तक नहीं मिल सका है। जहां किसानों को ऊख का रुपया नहीं मिलता है वहां यूनियन कैसे काम कर सकेगा? इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि गुप्त मतदान के जरिए सेक्रेटरी और सभापति का चुनाव करावें। अगर ऐसा करेंगे तो आपस में पता नहीं चलेगा कि सेक्रेटरी को किसने सेक्रेटरी के लिए वोट दी और आपस में जो झगड़ा होता है, नहीं होगा। अगर सहयोग समितियों को ठीक से चलाना चाहते हैं तो, इसमें देर न करें। अगर इस तरह का इन्तजाम नहीं करते हैं तो अभी तक जिस तरह से झगड़े होते रहते हैं, गुथ्थम-गुथ्थी हुआ करती है, होती रहेगी।

इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

अगर सहयोग समिति की बुनियाद में ही खराबी रह जायगी तो सहयोग समिति कैसे चलेगी? इसलिए मेरा अर्ज है कि आगे कहीं भी चुनाव करावें तो गुप्त मतदान के जरिए करावें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सहयोग समिति जिनके हाथों में है, उनकी प्रवृत्ति है कि जो शेयर खरीदना चाहें, उन्हें न दिया जाय। मैं जानता हूं कि जहानाबाद के बहुत से लोगों ने शेयर खरीदने के लिए दर्खास्त दी, कोशिश की कि कोआपरेटिव में शेयर खरीदने का हुक्म दिया जाय लेकिन शेयर खरीदने का परमीशन तो क्या मिलेगा, जवाब तक नहीं दिया गया। उन्हें शेयर खरीदने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया कि अगर वे लोग शेयर खरीद लेंगे तो वे लोग मेम्बर हो जायेंगे और उनका हुक्म नहीं चलेगा। मैं कह देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति सहयोग समिति में रहेगी तो हमलोग इसे नहीं चला सकेंगे, इसलिए अनुरोध करूंगा कि जितने लोग भी शेयर खरीदना चाहें, जितने लोग शेयर खरीदने के लिए दर्खास्त दें उनको छूट दी जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद सकें और इससे आपको फायदा होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा जहानाबाद में या समूचे बिहार में लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनावें, मल्टी परपस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनावें और शेयर खरीदना चाहें तो उनको पूरा मौका देना चाहिए इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर के कटौती का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री प्रभुनाथ सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं कि सहकारिता पर जो वाद-विवाद चल रहा है, उसे रोका जाय।

अध्यक्ष—क्लोजर मोशन कैसे हो सकता है? माननीय मंत्री ने तो अभी जवाब नहीं दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—माननीय मंत्री के जवाब के बाद वाद-विवाद खत्म किया जाय। हमें पी०डब्लू०डी० के ऊपर बोलना है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है।

अध्यक्ष—मैं क्लोजर पर सभा की राय ले लूं। पौने पांच बजे माननीय मंत्री को बोलना है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—हमें पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है।

अध्यक्ष—अब आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं? आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है लिख कर दें, तब विचार किया जायगा।

प्रश्न यह है कि:

यह प्रश्न रखा जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*श्री त्रिवेणी कुमार—अध्यक्ष महोदय, उन देशों के लिए, जिनकी आर्थिक नीति पिछड़ी हुई है और उन देशों के लिए जिनकी उत्पादन की इकाई छोटी-छोटी हैं, जिनके यूनिट्स सबडिवीजन बहुत छोटे हैं, उन देशों के लिए, उन देशों के विकास के लिए, तरक्की के लिए अगर ऐसा कोई काम कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज बना सकते हैं तो वह है सहकारिता। यह बात सही है कि उत्पादन की बड़ी-बड़ी इकाइयां होती हैं। उसमें जो बहुत ज्यादे लोग काम करते हैं जिसमें उत्पादन पर उनका पूरा अधिकार नहीं होता है, और मनेजमेंट को फायदा होता है उनमें प्रेरणा नहीं होती है, यह बात भी सही है। इसलिए दुनिया के अर्थ. विशेषज्ञों ने, दुनिया के समाजवादी नेताओं ने ऐसा माना है कि पिछड़ी हुई आर्थिक नीति के देशों में दोनों चीजों को अगर किसी चीज से मिला सकते हैं तो वह सहकारिता ही है जिससे उत्पादन की छोटी-छोटी इकाइयों के मनेजमेंट को एक साथ मिला कर, बड़े मनेजमेंट को जो फायदा है उससे फायदा लें और साथ काम करनेवाले जो हैं उत्पादन में उनका भी क्लेम हो, जिसमें उन्हें इंसेन्टिव हो। हिन्दुस्तान जैसे देश के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज हो सकती है जिसे हम काम में लायें और जिससे कुछ आशा लगायें तो यह कोआपरेटिव मूवमेंट ही है। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में दुनिया के एक बड़े कम्युनिस्ट का उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसने यह कहा है कि पूंजीवादी समाज के यानी आज के देश में जितने आंदोलन हैं, इन्स्टिट्यूशन्स हैं, संस्थाएं हैं वे सब के सब खराब हैं उन्हें हमे तोड़ देना है। अगर हमारी कम्युनिस्ट सरकार बनेगी तो इन तमाम चीजों को खतम करके हम केवल एक चीज रखना चाहेंगे और वह है कोआपरेटिव। लेनिन ने कहा है:

"There is no doubt that the co-operative, under the conditions prevalent in a capitalist state, is a collective capitalist institution and co-operatives are the only apparatus created by capitalist society which we can make use of."

उनका कहना है कि मौजूदा पूंजीवादी समाज की जितनी चीजें हैं उन्हें तोड़ेंगे, लेकिन कोआपरेटिव को रखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, लेनिन ऐसे आदमी को भी यह बात माननी पड़ी कि जब हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में आयेगी तो देश में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन चाहे वह इंडस्ट्रीयल हो या ऐग्रीकल्चरल हो उनको बढ़ाने के लिए कोआपरेटिव का जरिया ही काम आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, यों तो सहकारी आंदोलन में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेकर केवल दो बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सेकन्ड फाइव इयर प्लेन में इस क्षेत्र में क्या-क्या काम करने हैं, इसका कार्य-क्षेत्र दिया हुआ है।

"The fields which mark themselves out as being specially appropriate for the co-operative method of organisation are agricultural credit, marketing and processing, all aspects of production in rural areas, consumers co-operative stores, co-operative of artisans and construction co-operatives."

अध्यक्ष महोदय, दिहातों के लिए कोआपरेटिव आंदोलन को अगले दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो काम करना है उसमें कहा गया है कि रूरल क्रेडिट का भी काम करना है। जहां रूरल क्रेडिट की बात की जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह

नहीं है कि सिर्फ कृषि संबंधी बातें हैं बल्कि इसके साथ-साथ यह भी है कि देश में छोटे-छोटे उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया जाय और इसके वित्त (फाइनेन्स) का जरिया वही कोआपरेटिव रखा है।

अध्यक्ष—एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो रुपया मिलता है वह भी नहीं दिया जाता, और रूरल क्रेडिट की बात कहते हैं।

श्री त्रिवेणी कुमार—हुजूर, यह तो विभागीय भ्रष्टाचार है। तो मशीनरी पर जो जिम्मेदारी है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि रूरल क्रेडिट में रूरल मार्केटिंग को देखना है, इसकी प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, कंज्यूमर्स की चीजें हैं, सभी को देखना है और कोआपरेटिव में लाना है। फारमिंग को भी कोआपरेटिव में लेना है।

अध्यक्ष—कैसे कोआपरेटिव फारमिंग करेंगे, यह बतलायें।

श्री त्रिवेणी कुमार—मैंने कहा कि जितने क्षेत्र हैं उनमें केवल दो के बारे में आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। वे हैं रूरल क्रेडिट और कोआपरेटिव फारमिंग। अध्यक्ष महोदय, यह कहने की जरूरत नहीं कि रूरल क्रेडिट के संबंध में एग्रीकल्चरल क्रेडिट आता है बल्कि दिहातों में और भी जो उत्पादन की चीजें हैं यानी इंडस्ट्रीयल उद्योग धंधे, वे भी इसमें आते हैं। रूरल सर्वे कमिटी ने भी इस चीज को माना है और बतलाया है कि इंडस्ट्रीयल चीजों के लिए और एग्रीकल्चरल के लिए, दोनों का फाइनेन्स करना एक ही साथ है और ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। एक दूसरी कमिटी ने भी यही कहा है कि प्रोडक्शन की ये दोनों चीजें हैं और इन दोनों का फाइनेंस कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिए चलना चाहिए और एक साथ चलना चाहिए बल्कि एक ही ढंग की मल्टी परपस सोसाइटी हो तो अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, रूरल क्रेडिट के संबंध में हम बतलायें कि आज इसकी स्थिति क्या है? यह ठीक है कि जहां तक छोटे उद्योग का प्रश्न है रूरल क्रेडिट में यह लाये जा रहे हैं लेकिन जहां तक दूसरे एग्रीकल्चरल क्रेडिट का प्रश्न है, उसके कर्ज देने का प्रश्न है, हमारे सामने कोई आंकड़ा नहीं है कि इसके लिए क्या एमाउन्ट है। रूरल क्रेडिट सर्वे ने वह एमाउन्ट नहीं बतलाया और उसने सिर्फ यही बतलाया कि रूरल क्रेडिट में कौन-कौन और किस-किस तरह के लोगों को कितना परसेन्ट क्रेडिट देते हैं। उसने बतलाया है कि गवर्नमेंट ३.३ देती है और कोआपरेटिव ३.१ परसेन्ट देती है और इसके अलावा कोमर्शियल बैंक का भी परसेन्टेज दिया हुआ है।

अध्यक्ष—चार करोड़ का हिसाब शायद आया है कि इतना देंगे।

श्री त्रिवेणी कुमार—तो मैं कह रहा था कि इसमें दो सबसे बड़े परसेन्टेज प्रोवाइड करते हैं, वे हैं एग्रीकल्चरिस्ट मनी लेन्डर २४.९ और प्रोफेशनल ४४.८। ये दोनों जोड़कर होता है ६९.७ परसेन्ट। तो इसकी क्या एमाउन्ट है इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि प्रोविंशियल बैंकिंग इन्क्वायरी कमिटी ने डिप्रेशन की बात कही है कि १९३१-३२ में बिहार में रूरल इंडेटेडनेस १५५ करोड़ का था। आज उसकी मात्रा क्या है यह नहीं बतलाया।

अध्यक्ष—८० करोड़ तो बतलाया गया है।

श्री दीप नारायण सिंह—हुजर, काम के लिए ८० करोड़ की जरूरत है। इंडेटनेस का सवाल यहां नहीं है। लोगों के जो कर्ज का बोझ है वह अलग है। यह ८० करोड़ की जरूरत रोज-रोज के व्यवहार के लिए है।

श्री त्रिवेणी कुमार—तो हम यह कह रहे थे कि यह दूसरी स्थिति.....।

अध्यक्ष—तब तो यह विभाग बड़े महत्व का विभाग है। आप भी मानते हैं और हमारे मंत्री भी मानते हैं।

श्री त्रिवेणी कुमार—आज जिस साल के किनारे पर हम खड़े हैं वह अगले साल १९५६-५७ के वित्तीय साल होगा। उसमें किसानों को कितने कर्ज की जरूरत होगी उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बात कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उनका २५ करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया है। वह वसूल होना चाहिये। जिसमें एग्रीकल्चरल लोन है १६.५, माइनर एरिगेशन ३.७, मेजर एरिगेशन ६.२२ और श्रीरक्रेंज है ५० लाख इन कम्पेरिजन टू ७ करोड़। टक्सेशन एमाउन्ट २ करोड़। इस ढंग से २५ करोड़ रुपया किसानों पर बकाया है। एग्रीकल्चर और तकावी लोन में ७ करोड़ रुपया है। पहले तो किसान मनीलेन्डर के ऊपर निभर रहते थे लेकिन अब वह भी नहीं है। दूसरी चीज यह है कि इस साल सरकार किसानों से टैक्सेशन के रूप में भी २ करोड़ रुपया वसूल करने जा रही है।

अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि किसानों पर जो कर्जा है उसको सरकार छोड़ दे।

श्री त्रिवेणी कुमार—मैंगनीच्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट क्या है और उसका प्रोभिजन क्या है?

अध्यक्ष—प्रोभिजन तो बहुत कम है।

श्री त्रिवेणी कुमार—पिछले साल सरकार ने प्रोभिजन किया ७ करोड़ रुपये का और वह अब ५० करोड़ हो गया है। पंचवर्षीय योजना में १५ करोड़ रुपया रखा है। जो कि ४ करोड़ रुपया प्रति साल होगा। ४० लाख का शेयर कोआपरेटिव बैंक से लिया गया है।

अध्यक्ष—४० लाख रुपया तो दूध में जोरन के समान है।

श्री राम चरित्र सिंह—एक बात तो कहना भूल ही गये। ६ प्रतिशत सरकार देती है और ७ प्रतिशत कोआपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब हुआ कि—

"People will not go to take credit from the Co-operative Society."

श्री त्रिवेणी कुमार—लेकिन बजट में इस साल सिर्फ ५० हजार है। अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो इनके सामने मैगनीच्यूड है वह बड़ा है और इसका जो प्रबंध है वह बहुत नगण्य है और जरूरत इस बात की होगी कि इसके लिये सतर्क रहना होगा। अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट यद्यपि बहुत पुराना है लेकिन बड़ा नहीं है फिर भी इसके अंदर बहुत से भ्रष्टाचार होते हैं और हमारा यह कहना है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट इस स्थिति में खास कर जितना इसका प्रोभीजन है कर्ज देने का, मुझे शक है कि जो स्थिति है ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज की इतना भी कर्ज वह किसानों को दे सकेगी या नहीं। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पर इस राज्य के किसानों को कर्ज देने की जिम्मेवारी है। इसे इस डिपार्टमेंट को महसूस करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में दो-चार शब्द आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। आप इस बात को जानते हैं कि इस सरकार ने कुछ दिन पहले एक कोआपरेटिव फार्मिंग कमिटी बनायी थी जिसमें सरकार के भी कुछ लोग थे और गैर-सरकारी लोग भी थे। कमिटी ने जो रीकोमेंड किया वह उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं :—

"The Co-operative Planning Committee after examining the different types of farming has come to the conclusion that Co-operative Farming is suited to the Indian conditions as it increases the size of the holding for the purpose of cultivation without depriving cultivators of their right of ownership."

उसमें चार तरह के कोआपरेटिव हों और कमिटी ने बताया है कि किस तरह के वे हों। सिर्फ इस कमिटी ने ही नहीं बल्कि प्लैनिंग कमीशन ने भी कहा कि तीन तरह के फार्मिंग हों :—

"During the transition to Co-operative village management lands in the village will be managed in three different ways. Firstly there will be individual farmers cultivating their own holdings. Secondly, there will be groups of farmers who pool their lands voluntarily in their own interest into Co-operative working units. Thirdly, there will be some land belonging to the village community as a whole. Thus, one could visualise within the scheme of land management in a village an individual sector, a voluntary Co-operative sector and a community sector."

तो इस ढंग से प्लॉनिंग कमीशन ने भी कोआपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में कहा कि वलन्टरी ढंग से कोआपरेटिव फार्मिंग करने की कोशिश होनी चाहिये और इसके अलावे जैसा कि हमने कहा कि कोआपरेटिव कमिटी बनी थी और रिकमेंडेशन नम्बर २२ में एक बोर्ड बनाने की बात कही गई है। जिसमें रजिस्ट्रार रहें, औफीशियल लोग रहेंगे, नन-औफीशियल लोग रहेंगे। सीड के सम्बन्ध में, इंजीनियर इम्पिलिमेंट के सम्बन्ध में पुराने इरिगेशन सिस्टम के सम्बन्ध में जो जो काम हों, कोआपरेटिव को दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर उस कमिटी की सिफारिश का क्या हुआ, कमिटी

ने जो कोग्रॉपरेटिव फ़ार्मिंग के बारे में सिफारिश की है उस पर सरकार ने विचार किया है या नहीं और सरकार का क्या मत है उस सम्बन्ध में? अगर सरकार मानती है कि कमिटी की जो रिपोर्ट है वह ठीक है तो क्या सरकार ने उसके मुताविक काम किया है, या निकट भविष्य में कुछ करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दीपनारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े चाव से आज की बहस को

सुना। मुझे इस वात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने लगभग पौने ६ घंटे समय सहकारिता पर लगाया। मुझे इस बात का मन में भय था कि शायद सहकारिता के ऊपर कुछ ध्यान माननीय सदस्यों का न जाय, लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि माननीय सदस्यों की रुचि सहकारिता के कामों में बढ़ती जा रही है और इसका मैं स्वागत करता हूं मैं आशा करता हू कि यह रुचि आपकी वढ़ती रहेगी।

महोदय, जितनी बातें कही गई हैं उनको मैं दो खंडों में बांट सकता है। एक में कुछ सुझाव रखे गये हैं।(उनके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी सुझाव मेरे सामने आये हैं सब पर मैं विचार करूंगा और जो काम के लायक सुझाव होंगे उनको मैं काम में अवश्य लाऊंगा। कुछ वातें कही गई है कामों के दोष के सिलसिले में। अध्यक्ष महोदय, मैं उन दोषों के सम्बन्ध में तफसील में अभी नहीं कह सकता हूं। उनकी मैं जांच कराऊंगा और जो कार्रवाई उचित होगी उसको मैं करूंगा।)

अध्यक्ष महोदय, एक-दो बातों के सम्बन्ध में अभी मुझे निवेदन कर देना है। सीतामढ़ी सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव यूनियन के चुनाव के सम्बन्ध में तफसील में बातें की गई हैं। उस चुनाव को लेकर सचमुच मुझे भी बहुत खेद हुआ। मकदमा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया।

अध्यक्ष—मुकदमा खतम हो गया?

श्री दीपनारायण सिंह—जी हां! चुनाव सेन्ट्रल कोआपरटिव बैंक का करना जरूरी

था और कोआॅपरेटिव सोसाइटियों का चुनाव समय पर होना चाहिए इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक का चुनाव ५ सात साल से नहीं हो सका था इसलिए डिपार्टमेंट के लोगों ने कानून के दायरे के अन्दर मजबूर होकर, जो उनका कानूनी हक है उस कानूनी हक के मुताबिक चुनाव कराया और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो चुनाव हुआ उसको रद्द कराने के लिए अदालत में फरियाद हुई और अदालत ने खारिज कर दिया और जो चुनाव हुआ, वह उसको बहाल रखा। फिर भी एक नया चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार का कोई ख्याल नहीं है कि चुनाव में किसी तरह का हस्तक्षेप हो। खुले ढंग से चुनाव होगी। माननीय सदस्य, जो इसके मेम्बर हैं उनको अधिकार है कि चुनाव में भाग लें और चुनाव में बिना किसी तरह के संदेह के भाग लें। चुनाव का जो फल होगा उसका सरकार स्वागत करेगी। और काम, चुनाव के आधार पर, करने की कोशिश करेगी। अगर कोई वैधानिक अड़चन होगी तो उसके लिए कार्रवाई की जायगी।

मैं आपसे कहूंगा बुनकर यूनियन के सम्बन्ध में कई बातें की गयी हैं लेकिन एक बात के बारे में मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि वहां जो बहाली होती है उसका एक सिलसिला है। बहाली करने के लिये एक कमिटी बनायी जाती]

है। उस कमिटी के सलाह से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बहालियां करते हैं। कमिटी उम्मीदवारों को बुलाती है और एक निश्चित कार्य प्रणाली के अनुसार उम्मीदवारों का इंटरव्यू होता है और उनकी परीक्षा भी होती है। परीक्षा फल के मुताबिक उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनती है और लिस्ट के क्रम से नाम रखा जाता है। उसके अनुसार बहाली होती है। कुछ यह भी कहा गया है कि उसमें हिन्दू और मुसलमान का अनुपात क्या होता है? एक बात माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि बुनकर सहयोग समितियों में काम करने के लिए जो बहाली की प्रणाली बनायी जाती है उसमें एक बात की विशेष चेष्टा की जाती है कि जो उम्मीदवार हों, उनको बुनकरों के काम का ज्ञान होना चाहिए। मैं इस बात को जानता हूं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बुनकरों का काम अक्सर जुलाहे करते हैं।

अध्यक्ष—आप तो जातपात मानते नहीं हैं?

श्री दीप नारायण सिंह—अभी जो आंकड़े मेरे सामने हैं उनमें ६५ प्रतिशत गैर-मुस्लिम और ३५ प्रतिशत मुस्लिम भर्ती हुए हैं। कमिटी डिपार्टमेंट की ओर से बनायी जाती है और उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है। उसमें इतने सदय हैं:—

रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी; डिप्टी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी; असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी; और सेक्रेटरी, बुनकर सहयोग समिति। इन लोगों की एक कमिटी है और उसके बाद दोष के सिलसिले में भी कहा गया है लेकिन उनका उत्तर में अभी नहीं देना चाहता हूं। (फिर भी एक बात कहता हूं कि जितनी बातें कही गयी हैं उनकी जांच करवाऊंगा और उस पर उचित कार्रवाई करूंगा।) इस बात पर जोर दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के ऊपर जो कदम उठाया गया है वह बहुत बड़ा कदम नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि सहकारिता के सामने जो काम है वह बहुत बड़ा है। मैंने सारी बातें बतलायी है कि अगले पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में जो हमारा काम होने जा रहा है वह २५ गुना काम होगा। अगर इस काम में मुझे सफलता मिली तो कहीं भी मेरे लिए रुकावट नहीं है। मेरा काम आगे बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई हद नहीं है कि कुल १५ करोड़ रुपये ही मिलेंगे। अभी जो प्रबंध किया गया है उसके मुताबिक १५ करोड़ रुपये मिलेंगे। अगर हम रुपये को ठीक तरह से इस्तेमाल किये तो हमें बैंक से रुपये और भी मिल सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बजट में कोई खास रकम निर्धारित नहीं है। यह जो रुपया आ गया वह स्टेट बैंक के जमानत पर आयगा और अगर काम ठीक तरह से चलेगा तो हमें और अधिक रुपये मिलेंगे।

कोऑपरेटिव फार्मिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जैसे आरंभ होगी, कोऑपरेटिव फार्मिंग काम में लायी जायगी। स्कीम का तफसील बनकर तैयार है। और इसके लिए जो कुछ भी प्रबंध किया जा सकता है वह सारा प्रबंध हो चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ ही यह काम भी शुरू हो जायगा। मैं इस बात को सोच रहा हूं कि जब कोऑपरेटिव फार्मिंग की स्कीम लागू हो, माननीय सदस्यों को भी उस स्कीम से अवगत कराऊंगा और समय-समय पर उनका सहयोग भी लेने की कोशिश करूंगा। मैं इस बात को मानता हूं कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और मैं इस बात को भी मानता

हूं कि हमारे राज्य में सहकारिता का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं हो सका है। उद्देश्य मेरा बहुत पवित्र रहा है और उद्देश्य के अनुसार हर काम को अपने दायरे में लाने की कोशिश करता हूं। हकीकत यह है कि बहुत कामों में हम कुछ कर नहीं पाते हैं और बहुत विस्तृत क्षेत्र में सहकारिता को पहुंचा नहीं सके हैं। मैं एक बात और देखता हूं। सहकारिता के क्षेत्र में जो उचित जानकारी है उसको अपने विभाग के कर्मचारी लोगों को समझाने में पूरी सफलता नहीं पा सकें हैं।

इस काम की ओर मेरा भी ध्यान है और अगले पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के वसूल को, सहकारिता के काम को और जो इसमें हो रहा है, तथा उनमें अवगुण भी है, उनके तफसील में लोगों के सामने में प्रचार होगा ताकि सहकारिता का काम बहुत बढ़े तथा आगे बढ़ सके। मैं फिर भी इस बात को एक बार दुहराना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में कोई भी ऐसी कार्रवाई करने की इच्छा नहीं है कि एक आदमी इस काम में लगा रहे और एक अमुक व्यक्ति इससे अलग हो जाय। इसका दरवाजा सब के लिये बराबर खुला रहेगा, किसी किसी के दरवाजे को संकीर्ण कर दिया गया है, मैं इस बात को मानता हूं। जब हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी तब यह काम धारा प्रवाह चलेगी। जिन कोआपरेटिव का दरवाजा अभी बन्द है, उन सबों का भी दरवाजा खुल जायगा। सभी को भाईचारे के नाते काम करना चाहिये। यही हमारे काम करने का उद्देश्य होना चाहिये। इसका उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम इसके जरिए जनता की सेवा कर सकें।

मैं इस बात को मानता हूं कि अभी सहकारिता के जरिए हमलोग जो सहकारिता में काम करने वाले हैं, किसानों के आर्थिक स्तर को बहुत ऊंचा नहीं उठा सके हैं। लेकिन इस बात को मैं नहीं भूल सकता हूं कि यह सहकारिता का ही फल है कि इस सूबे में सूद की दर बहुत घट गयी है लेकिन अभी भी देहातों में सूद की दर अधिक है जहां सूद की दर बहुत ज्यादा थी पहले से वहां अब मैंने सूद की दर में कमी कर दी है। अब हम हर जगह सूद की दर भी घटाने जा रहे हैं। मेरा अपना अनुमान है कि किसानों को रुपया मिलने में तकलीफ होती है, या किसानों को अधिक सूद देना पड़ता है, इससे भी अब लोगों को राहत मिलेगी। किसानों की जितनी आवश्यकताएं हैं, उन सबों को मैं अभी सहकारिता के जरिए पूरा नहीं कर सका हूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब सहकारिता का काम आगे बढ़ेगा, जब हम सहकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को लगा सकेंगे, तब हम किसानों को पूर्ण रूप से सहायता पहुंचा सकेंगे, रुपये की सहायता देंगे, साधनों की सहायता देंगे, विचारों की सहायता देंगे और उनके सामनों को उचित मूल्य पर बेंच कर उन्हें सहायता देंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक मापदंड अपने लिये रखता हूं कि जब सहकारिता पर फिर दुबारा कोई स्कीम या प्रस्ताव आये तो उस समय मुझे केवल सुझाव ही सुझाव मिले तथा मेरे कामों को निन्दा के रूप में आलोचना न हो, जो मुझे कुछ आज सुनने में आया है। जब हमारे कामों की प्रशंसा होगी, लोग कहेंगे कि कोआपरेटिव का काम बड़े ही सुन्दर ढंग से हो रहा है तो मुझे उस दिन बड़ी प्रसन्नता होगी और ऐसा सुनने के लिये मैं कोशिश भी कर रहा हूं। इस सेशन में एक नये कानून का मसविदा पेश करना है उस समय माननीय सदस्यों को मौका होगा सहकारिता के कामों को आगे बढ़ाने के लिये सुझाव देने का और फिर मैं अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं और चाहता हूं कि पास हो जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"निर्देशन रजिस्ट्रार" के लिये १६,६८० रु० की मद लोपित की जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"सहकारिता विभाग" के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये १,८४,३३,१२२ रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वैज्ञानिक विभाग।

SCIENTIFIC DEPARTMENTS.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"वैज्ञानिक विभाग" के सम्बन्ध में, ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये १,११,७०२ रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निगम-कर (प्रांतीय) को छोड़ कर आय-कर कृषि आय-कर का संग्रहण।

TAXES ON INCOME OTHER THAN CORPORATION TAX.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"निगम-कर (प्रांतीय) को छोड़ कर आय-कर कृषि आय-कर का संग्रहण" के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये २१,४७,४९० रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अन्यान्य कर तथा वलि।

OTHER TAXES AND DUTIES.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"अन्यान्य कर तथा वलि" के सम्बन्ध में, ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये १७,४५,५२७ रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।